participate in the discussion are not present now.

Mr. Speaker: All right; let us start with the discussion on sugar. Shri Khushwaqt Rai may move his motion. I will give 15 minutes to each hon. Member.

14.03 hrs.

MOTION *RE*: PRICE OF SUGAR-CANE AND SUGAR

Shri Khushwaqt Rai (Kheri): Sir, I beg to move:

> "That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into consideration."

जैसा कि मैंने कहा था, अच्छा यह होता कि इस विषय पर वाद-विवाद सोमवार या मंगलवार को होता, मगर चूंकि सरकार के पास समय नहीं है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो भी कहना चाहते हैं, वह हृदय खोल कर कह दें।

Mr. Speaker: I will call Shri Braj Raj Singh next.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I may be given ten minutes.

Mr. Speaker: I will do so. Let us see. Who are all the hon. Members who want to take part in this discussion? Shri Khushwaqt Rai, Shri Vajpayee, Shri Braj Raj Singh, Shri Mohan Swarup, Shri S. M. Banerjee, Shri Sarju Pandey, Shri Supakar, Ch. Ranbir Singh, Shri Jhunjhunwala, Shri Subbiah Ambalam, Shri Maniyangadan and Shri Ramji Verma.

An Hon. Member: Enough for two hours.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): What is the time allotted for this?

Mr. Speaker: 10 to 15 minutes for each hon. Member. The total time allotted is 2½ hours. We are starting at 2.00, we will finish at 4.30. The other motion will be be taken up at 4.30 instead of at 4.00.

The Minister of Revenue and Civil Expenditure (Dr. B. Gopala Reddi): I thought it was at 4.00.

Mr. Speaker: True, but what is the good of keeping both half-finished? I will allow 2½ hours for this and start the other motion at 4.30.

Shri S. M. Banerjee: Should we continue up to 6.30 today?

Shri Speaker: The original plan was to sit till 6.00. If the motion on the Report of the Pay Commission is not finished it will stand over.

श्री खुशवक्त राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि गन्ने और शक्कर के मूल्य की बात है, उस में जो तरीका सरकार की तरफ़ से प्रयोग में आता है, वह ग़लत है। आप देखिये कि १९५२-५३ के सीज़न में गन्ने का मूल्य एक दम एक रुपया बारह आने से एक रुपया सात आने और एक रुपया पांच आने तक गिर गया। उस का फल क्या हुआ ? उसका फल यह हुआ कि उसी साल से गन्ने की काश्त में कमी आई और १९५४-५५ में यह हालत आ गई कि सरकार को बाहर से शक्कर मंगानी पड़ी। सरकार द्वारा जो १९५२-५३ में गन्ने के दाम घटाये गये, उस के कारण १९५४-५५ में बाहर से शक्कर मंगानी पड़ी और उस में सरकार का काफ़ी रुपया फ़ारेन एक्सचेंज में खर्च हुआ।

14.07 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सरकार का कहना है कि वह गन्ने के काश्तकारों को प्रोत्साहन देना चाहती है, उन को इन्सेन्टिव देना चाहती है। २५ अक्तूबर को गन्ने के मूल्य

[श्री बृजराज राय]

बढ़ाने के अवसर पर उस की ओर से यही कहा गया था कि हम गन्ने के मूल्य को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम गन्ने के काश्तकारों को इन्सेन्टिव देना चाहते हैं कि वे गन्ना अधिक से अधिक पैदा करें। यह तो ठीक है कि सरकार ने यह सोचा कि गन्ने के दाम बढ़ें, लेकिन वे कितने बढ़ने चाहियें, इस पर उस ने विचार नहीं किया। कहा यह गया माननीय मंत्री जी की ओर से कि उत्तर प्रदेश और बिहार की यह मांग थी। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की असेम्बलियों ने जो दाम मांगे थे, वह एक रुपया बारह आने थे—उन्होंने उस से कम नहीं मांगा था, और जहां तक मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये। १८ दिसम्बर, १९५८ को तो कहा गया था कि गन्ने के मूल्य न बढ़ाने के दो कारण हैं। एक बात तो यह कही गई कि इस से हम शक्कर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आप देखिये कि १९५८-५९ में जो शक्कर यहां बनी, उस में से कितनी शक्कर सरकार एक्सपोर्ट कर पाई, कितना निर्यात किया उस ने? यह कहना ठीक नहीं है कि अगर गन्ने के मूल्य बढ़ जायेंगे, तो हम शक्कर बाहर नहीं भेज सकेंगे। सरकार वैसे ही शक्कर बाहर नहीं भेज पाती है। सरकार ने दावा किया था कि हम शक्कर बाहर भेजेंगे और इसलिए उस ने शक्कर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एक्ट भी पास किया, दाम भी बढ़ा दिये चीनी के, आठ आने मन के हिसाब से और उस के बाद से वह ३६ रुपये मन बिकती रही, लेकिन सरकार कितना एक्सपोर्ट कर पाई? पिछली बार १४ अगस्त को जब इस सदन में बहस हुई थी, तब मैं ने यह बात कही थी कि कहा तो यह जाता है कि हम निर्यात नहीं कर पाये हैं और निर्यात नहीं कर रहे हैं, परन्तु जब इसका कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि साहब गन्ने के दाम बढ़ने से शूगर को हम बाहर भेज नहीं पायेंगे। यह बात, मेरे विचार में, बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि साहब अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायेंगे तो गन्ने की खेती बढ़ जायेगी। यह भी गलत बात है। इसका सबूत यह है कि पिछले दिनों २३ नवम्बर को जब यहां पर बहस हुई थी उस समय माननीय मंत्री जी की तरफ से यह बात मान ली गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि गन्ने के मूल्य अगर बढ़ जायें तो गन्ने की खेती बढ़ जायेगी या गेहूं की खेती कम हो जायेगी।

१८ दिसम्बर, १९५८ को इस भवन में इस बात पर बहस हुई थी और यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली और बिहार की असेम्बली की सिफारिशों को मान करके गन्ने की कीमत एक रुपया बारह आने कर दी जानी चाहिए तब आपने उक्त दोनों बात कही थीं और दाम न बढ़ाने के यही दो मुख्य कारण बतलाये थे। ये दोनों ही कारण आज के दिन समाप्त हो गये हैं।

अब देखना यह है कि गन्ने का मूल्य किन बातों को ध्यान में रख कर मुकर्रर किया जाना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि गन्ने के मूल्य और बढ़ें और इस से मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी पिछले दिनों माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस सदन को यह बताया था कि वह एक ऐसी स्टेचुटरी बाडी बनाने वाले हैं जिस में किसानों का बहुमत होगा। अगर ऐसी बाडी बन जाये तो यह बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि यह बड़ी विडम्बना की बात मालूम होती है कि गन्ना तो पैदा करे काश्तकार और उसका मूल्य वे लोग निर्धारित करें जिन्होंने कभी गन्ने की खेती नहीं की है। गन्ने की खेती में फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। जो काश्तकार हैं जिन्होंने कभी खेतों में जा करके गन्ना बोया है या हल चलाया है वे जानते हैं कि कितनी मुसीबत गन्ना पैदा करने में होती है। जब वह गन्ना पैदा कर लेता है तो उसको आप मजबूर करती हैं कि वह कम कीमत पर उसकी मिल मालिकों

के हाथ बेच दे । पिछले पांच सालों से आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वह अध-पेट रह कर आपकी मिलों को गन्ना दे । मिलों को गन्ना देने से उसको तो कोई लाभ होता नहीं है और लाभ होता है तो मिल मालिकों को होता है । जैसा मैंने पहले कहा और अब फिर कहता हूं कि शूगर की जितनी मिल हैं सब को ओन करने वाले केवल ४६ परिवार हैं ४६ परिवार ही हिन्दुस्तान की जितनी शूगर मिलें हैं उनके मालिक हैं । उन सभी का ओनरशिप उन्हीं में शेअर करता है । दूसरी तरफ जो गन्ना पैदा करने वाले है . . . . .

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Are all of them Marwaris?

Shri Khushwaqt Rai: I do not know their caste. In this casteless society, one does not know the caste. Perhaps, he already knows it!

श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि ४६ परिवारों की जेब भरने के लिए दो करोड़ किसानों के परिवारों का आप हनन करते हैं । आज के दिन भी आप यह क्यों करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया है । क्या आप ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है और आज भी मैं कह देना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उसको रिपीट करने से उसकी महत्ता खत्म नहीं हो जाती है कि जब आपका चुनाव आता है तो ये मिल मालिक अपनी थैलियां आपको जिताने के लिए खोल देते हैं ।

Shri Raghunath Singh: Not so.

Shri Khushwaqt Rai: It is perfectly correct.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चेयर को एड्रेस कर रहे हैं तो मुझे इससे इन्कार करना होगा ।

श्री खुशवक्त राय : आपको मैं थोड़े ही कहता हूं ।

परन्तु यह भी खयाल होना चाहिए कि आज के दिन आप दावा यह करते हैं कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने जा रहे हैं और अगर आपका यह दावा सही है तो समाजवाद कहां मिल मालिकों की जेबें भरने से हिन्दुस्तान में आयेगा या उस काश्तकार को जिस को कि आज के दिन भी भर-पेट खाना नहीं मिलता है भर पेट खाना दे कर आयेगा यह मैं जानना चाहूंगा । जब आप मिल मालिकों की ही जेबें भरते रहते हैं तो समाजवाद कैसे आज के दिन आ सकता है कैसे आप समाजवाद लाने की बात कह सकते हैं ।

आप देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने पिछले साल वहां की विधान सभा में बोलते हुए यह कहा था कि हमारे यहां जो शगर पैदा होती है उसकी कीमत पूर्वी जिलों में तो ३३ रुपये ३४ नये पैसे बैठती है और पश्चिमी जिलों में ३३ रुपये २५ नये पैसे बैठती है और इस में मुनाफा भी शामिल है मिल मालिकों का । जनवरी फरवरी में उन्होंने यह बात कही थी । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस कीमत को ३४ रुपये भी मान लिया जाये तब भी शूगर का मूल्य इस आर्डिनेंस के आने से पहले जबकि वह ३६ रुपये था इस ३६ रुपये मन में भी दो रुपया उनको मुनाफा होता था । बजाय इसके कि उनका मुनाफा आप घटाते आपने शूगर का मूल्य और बढ़ा दिया । आपने शूगर केन का दाम बढ़ाया तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ाया है जितना कि आपको बढ़ाना चाहिए था ।

मेरी किसानों से बात अकसर होती रहती है । जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां पर गन्ने की खेती बहुतायत से होती है । उन लोगों ने मुझे बताया है कि गन्ने की पैदावार का पक्का हिसाब तो उन के पास नहीं है लेकिन उनका अंदाजा यह है कि एक मन गन्ना पैदा करने के लिए एक रुपया बारह आने या तेरह आने लागत बैठती है ।

[श्री खु. शवन्त राय]

आपने अकसर कमेटियां मुकर्रर की हैं और उन्होंने जांच करके आपको अपनी रिपोर्ट भी दी हैं। । कुछ ऐसी कमेटियां भी मुकर्रर हुई हैं जिनकी रिपोर्ट्स को आपने छापा नहीं किया है। जब पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि मैम्बरों को देने के लिये तैयार हैं मगर सदन में नहीं रख सकते हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इण्डियन शूगर कांउसिल की तरफ से एप्वाइंट की गई थी। एक दूसरी कमेटी सरदार लाल सिंह जो कि इस सदन के सदस्य रह चुके हैं उनके सभापतित्व में बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी पता लगाया और वह भी एक नतीजे पर पहुंची कि गन्ने को पैदा करने में कितना रुपया लगता है। उन रिपोर्टों पर कोई विचार नहीं किया गया है। शुगर के मिल मालिकों ने जब पिछले साल शिकायत की कि शूगर का उनको जो मूल्य मिलता है वह कम होता है तो आपने फौरन उस मामले को टैरिफ बोर्ड के सुपुर्द कर दिया परन्तु आज तक कभी इस बात की जांच करने के लिये मामला टैरिफ कमीशन के सुपुर्द नहीं किया गया है कि वह बताए कि गन्ना किस लागत पर पैदा होता है। शूगर के मामले में आपने चार पांच बार टैरिफ बोर्ड की सलाह ली है और उससे पूछा है कि शूगर का मूल्य क्या होना चाहिये मगर जहां तक देश के दो करोड़ गन्ना उगाने वाले किसानों का ताल्लुक है, उनके मामले को आप ने कभी भी टैरिफ बोर्ड की राय जानने के लिये नहीं भेजा है।

आज भी हम चाहते हैं कि शूगर का उत्पादन बढ़े। लेकिन जब आपकी तरफ से किसानों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है तो उस हालत में उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। आप देखें कि हमारे यहां यू० पी० में वहां जहां पर कि सबसे ज्यादा शूगर पैदा होती है, आज क्या हालत है। हमारे यहां १५ तारीख से हड़ताल शुरू हो गई है। यह दावा किया गया है कि अब तक ६३ मिलों में उस हड़ताल का असर पड़ा है। अगर इस पर आप विश्वास न भी करें तो आज के ही स्टेट्समैन में यह खबर छपी है कि ३७ मिलों पर इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा है, ३७ मिलें एफैक्ट हुई हैं। ६६ में से ३७ मिलें एफैक्ट हो जायें और इस कारण से एफैक्ट हो जायें कि काश्तकार अपने गन्ने का अधिक मूल्य मांगते हैं क्योंकि इस मूल्य पर गन्ना बेचने से उनका पूरा नहीं पड़ता है, यह कोई छोटी बात नहीं है।

आप देखें कि जो गन्ने की जो खेती है वह ऐसी है, गन्ना ऐसी चीज है, जो जल्दी खराब हो जाती है, जो पेरिशेबल कमोडिटी है। काश्तकार यह नहीं चाहता है कि उसको रोके क्योंकि उसके रोकने को उसमें ताकत नहीं है। इससे उसका नुकसान हो जाता है क्योंकि आगे चल कर गन्ने का रस सूख जाता है। यह बात वह पसन्द नहीं करता है लेकिन मजबूर होकर उसे ऐसा करना पड़ता है। आखिर वह क्या करे? आधे पेट खाकर कब तक रह सकता है? जब उसने देख लिया कि सरकार की नीति ऐसी है कि वह चाहती है कि मिल मालिकों का पेट भरे और काश्तकार की जेब कटे तो मजबूर होकर उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। काश्तकार आसानी से ऐसा कदम नहीं उठाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: काश्तकार की जेब तो आप कहते हैं कि खाली है, उसके काटने से क्या फायदा होगा?

श्री खुशवक्त राय: जी हुजूर, जेब तो है, पैसे भले ही न हों, लेकिन जेब काट ली जाती है।

श्री स० मी० बनर्जी: कपड़ा मिल जाता है।

श्री खुशवक्त राय: मैं आपको अपनी जेब दिखाऊं। इस तरह से जेब काटी जाती है।

में कुलिकार एग्जिबिशन गया था, वहां यह कट गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको काश्तकार नहीं समझा होगा । उन्होंने आप की जेब में पैसे समझे होंगे ।

श्री खुशवक्त राय : जी पैसा नहीं था ।

श्री रघुनाथ सिंह : कैपिटलिस्ट समझा होगा ।

श्री खुशवक्त राय : तो मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार को यह बात सोचनी चाहिये, खास कर आज के दिन जब मिलों पर इतना असर बढ़ रहा है तो वह कोई मिलों पर ही असर नहीं पड़ता, वह असर नैशनल वेल्थ पर होता है । अगर काश्तकार को मुनासिब दाम नहीं दिये गये तो काश्तकार गन्ना नहीं देगा, वह गुड़ बनायेगा गांव में । आप की चीनी बननी बंद हो जायेगी । आप देखिये कि गुड़ के दाम आज के दिन करीब २० रु० मन हैं । कहीं कहीं पर २१ और २२ रु० मन भी हैं । मेरे साथी यहां बैठे हैं जो कि गन्ने के काश्तकार हैं, उन्होंने बताया कि १००मन गन्ने में करीब १५ मन गुड़ बन जाता है । अब अगर गुड़ बनाने में उसका कुल गुड़ का ६ या ७ गुना गन्ना लगता है तो वह गुड़ बनायेगा या कि गन्ने को १ रु० १० आ० मन बेचेगा । गुड़ बनाने से जो मूल्य उसे मिलता है वह दो ढाई या तीन रु० मन मिलता है । अगर हमारे मन्त्री जी यह चाहते हैं कि इस देश में शक्कर का उत्पादन बढ़े तो उसके लिये यह जरूरी है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय और यह बढ़ा हुआ मूल्य कम से कम दो रु० मन होना चाहिये क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि काश्तकार को गन्ना बोने की लागत १ रु० १२ आ० या १ रु० १३ आ० आती है । उसके बाद उसको बुआई भी करनी पड़ती है, दिन दिन इसके लिये खराब करने पड़ते हैं । जब किसान गन्ने को लेकर मिल के कांटे पर जाता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है । उसकी मजदूरी भी लगाइये । उसको जो तकलीफ वहां होती है उसका खयाल कीजिये और इन सब बातों का खयाल करके देखिये तो कम से कम ३ या ४ आ० मुनाफा तो उसे गन्ना पर होना ही चाहिये । मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं सरकार से कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के काश्तकारों का खयाल कीजिये । काश्तकार आप की तरफ मुंह फैलाये देख रहा है । आपने कृपा तो की, उस कृपा के लिये आप को धन्यवाद । परन्तु जो कृपा आपने की है वह इतनी नहीं है कि काश्तकार का पेट भर सके । इसलिये मैं आपके जरिये से यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त ही गन्ने का मूल्य २ रु० मन कर दे ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into consideration."

There is a substitute motion by Shri Vajpayee: Is he moving it?

Shri Vajpayee (Balrampur): Yes. I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

> "This House having considered the price of sugarcane and sugar fixed by the Government, recommends that price of sugarcane be raised to Rs. 2/- per maund without any corresponding increase in the price of sugar."

Mr. Deputy-Speaker: This substitute motion as well as the original motion are now before the House for discussion.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में अनेकों चीनी के कारखानों में हो रही हड़ताल की छाया में इस भवन में, गुड़, गन्ने और

[श्री स्वराज सिंह]

चीनी की कीमतों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। अनेकों बार पहले भी इस सदन में गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि उसे देना चाहिये। सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि सरकार के पास सब तरह के साधन होते हुए भी सरकार इस बात से इनकार करती है कि वह चीनी की क्या कास्ट प्राइस हो सकती है और गन्ने की क्या कास्ट प्राइस हो सकती है इसकी जांच पड़ताल करायेगी और जनता के सामने उन आंकड़ों को प्रकट करेगी।

जहां तक गांव के काश्तकार का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान के किसान कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिये खुद वह तो कोई हिसाब रख नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से, मैं समझता था कि चूंकि करोड़ों रु० खर्च किये जाते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने में और नक्शे बनाने में और लाखों लोगों का इसमें सम्बन्ध है, इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की जायेगी। लेकिन अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। आखिर बार बार हड़ताल फैक्ट्रियां में हो, किसान परेशान हों, चीनी का उत्पादन कम हो, जिसका प्रभाव देश की योजनाओं पर हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये हमें अब तय करना चाहिये कि चीनी का उत्पादन अगर बढ़ाना है और किसानों की हालत भी अच्छी करनी है, तो इन सब के लिये क्या करना होगा। सरकार की जो नीति अब तक रही है अगर वह गलत रही है तो उसमें कोई परिवर्तन करना होगा या नहीं करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज की बहस में खाद्य मंत्री अपना दृष्टिकोण रखने की कृपा करें। और उसमें किसी बात को प्रतिष्ठा का सवाल न बना कर अगर अब तक कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। जब एक कारखाने की पैदावार के सम्बन्ध में यह नियम निर्धारित किया हुआ है कि उसमें जितना खर्च होता है, जितनी उसमें पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी पर कितना परसेन्ट मुनाफा होना चाहिये, इन सब बातों का खयाल किया जाना चाहिये, तो यही चीज क्यों आप खेत की पैदावार पर लागू नहीं करते? यही चीज किसानों के ऊपर क्यों लागू नहीं करते? मुझे अफसोस है कि सीमेंट की कीमत पिछले चार या पांच सालों में दूनी के करीब हो गई है लेकिन गन्ने की कीमत कम हुई, हालांकि चीनी की कीमत बढ़ी है। गन्ने की कीमत पिछले सात सालों के अन्दर जो पहले थी उससे भी कम है जबकि गन्ने की कीमत आज बढ़ा कर दी जा रही है, जिसके लिये खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने चीनी की कीमत गन्ने की कीमत ३ आ० मन बढ़ाने के बाद बढ़ाई है। अगर हम वह कीमत भी देखें तो जितनी कीमत पहले गांव के किसानों को मिलती थी वह आज नहीं मिल रही है। कई एक साल पहले किसानों को २ रु० प्रति मन तक मिला है और सन् १९५२-५३ में १ ० १२ आ० प्रति मन तक मिला है लेकिन जब उसकी कीमत ३ आ० मन बढ़ा दी गई है तो भी उसे आज १ ० १० आ० दिया जा रहा है, जिसमें गाड़ी वगैरह ले जाने का खर्चा भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी वजह हो गई है कि जब सन् १९४६-४७ में २ रु० मन कीमत मिलती थी और सन् १९५२-५३ में १ रु० १२ आ० मन मिलती थी तो आज उसको इतनी कम कीमत मिल रही है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से दलील दी जाय कि हमने अपना खर्च पूरा करने के लिये एक्साइज को बढ़ा दिया है। मैं यह भी मानता हूं कि एक्साइज पहले से भी बढ़ी हुई है लेकिन कोई रेशियो होना चाहिये, इसमें कोई अनुपात होना चाहिये कि आखिर आप कितना टैक्स लेंगे किसी चीज पर और उससे जो उसकी कास्ट प्राइस है वह कितनी बढ़ जायेगी या उत्पादन को कितनी कीमत मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में एक्साइज बढ़ा कर ही देश की

खाना के जो कंज्यूमर्स हैं उनको आपने बहुत नुकसान पहुंचाया है । उसे बहुत कीमत देनी पड़ती है । लेकिन अगर दलील के लिये मान लिया जाय कि अपनी चवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि चीनी पर एक्साइज हो, तो भी मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्साइज के रहते हुए भी हम गन्ने की कीमत २ रु० प्रति मन दे सकते हैं और चीनी की जो कीमत आज दे रहे हैं उतनी देने की जरूरत नहीं है । मैं यह चीज कोई दलील के लिये नहीं कहना चाहता । मैं आंकड़ों से यह प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं । आखिर एक मन चीनी बनाने का खर्चा कितना आता है ? मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा । इससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मिल मालिकों की तरफ से एक षड्यन्त्र चला करता है कि १०० मन गन्ने में १० मन से कम चीनी बनती है जबकि आम तौर से यह बात कही जाती है कि १०० मन गन्ने में १० मन चीनी बनती है । कभी मिल मालिक साढ़े नौ मन दिखलाता है, कभी सवा नौ मन दिखलाता है, इससे ज्यादा कभी नहीं दिखलाया जाता । लेकिन दक्षिण भारत में जो मिलें हैं और दूसरी जगहों पर जो मिलें हैं उनमें १० मन से भी ज्यादा रिकवरी दिखाई है, और इसीलिये बार बार यहां यह दलील भी दी जाती है कि उत्तर भारत के जो गन्ना उत्पादक हैं वह अच्छा गन्ना पैदा नहीं करते और १० मन से ज्यादा रिकवरी उससे नहीं हो सकती इसलिये गन्ने के खेतों को दक्षिण में लेजाना चाहिये और शुगर की मिलें भी दक्षिण भारत में खोली जानी चाहियें । मैं दक्षिण और उत्तर के प्रश्न को इसलिये नहीं उठाना चाहता कि कहीं यह न समझ लिया जाय कि मेरा यह मतलब है कि दक्षिण का कोई विकास नहीं होना चाहिये । दक्षिण में भी गन्ने की खेती का विकास होना चाहिये और मिलें भी लगानी चाहियें और उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह जो दलील है यह गलत है कि गन्ने से रिकवरी इतनी यहां हो नहीं सकती जितनी कि दक्षिण होती है । अगर हमें इस सम्बन्ध में सही सही आंकड़े प्राप्त हो सकें तो पता चल जायेगा कि उत्तर भारत में प्रति सौ मन गन्ने पर साढ़े दस मन चीनी की रिकवरी होती है लेकिन होता क्या है कि चोरी से १०० मन गन्ने के पीछे आधा मन चीनी शुगर फैक्टरीज बचा लिया करती हैं और जिसका कि कोई हिसाब नहीं होता है और इस तरह उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और जब टैक्स अदा करने का सवाल आता है तो यह इस तरह से आधे मन पर बचा जाते हैं । यह मैं पूरी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं और सरकार यदि उसके पास कोई उपयुक्त मशीनरी हो तो उसके जरिये इसकी जांच करा कर देख ले कि वाकई जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है अथवा नहीं । वह इसकी जांच करा कर देख ले कि १०० मन गन्ने पर रिकवरी १० मन है या साढ़े दस मन होती है । मैं तो यह कहूंगा कि अगर ईमानदारी से कोई इस तरह की जांच हुई तो यह साबित हो जायगा कि उत्तर भारत की मिलों में साढ़े दस मन की रिकवरी होती है और इस तरह से आधा मन चीनी चली जाती है जिसका कि कोई हिसाब नहीं लगाया जाता है । उसके हिसाब से तो चीनी मिल मालिकों का जो मुनाफा है वह बहुत बढ़ जायगा लेकिन जितनी रिकवरी शो की जाती है उस हिसाब से देखें तो भी हम कुछ दूसरे नतीजों पर पहुंचेंगे ।

इस वक्त उत्तर भारत की मिलों में करीब करीब साढ़े बीस लाख रुपया लगा होता है । इसमें गन्ने, सैस और कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो कमीशन है वह एक मन चीनी पर लगा कर कुल खर्चा जाकर बैठता है १६ रुपये ७० नये पैसे के । अब यह गन्ने की कीमत १ रुपये ४४ नये पैसे के हिसाब से है तो उस पर पावर, फ्यूल और स्टोर्स पर जो खर्चा आता है वह ५३ नये पैसे होता है । वेतन पर और दूसरी तरह की जो मजदूरियां देनी पड़ती हैं एक मन चीनी बनाने के लिये

[श्री ब्रजराज सिंह]

वह खर्चा आकर १ रुपये ३० नये पैसे बैठता है। पैकिंग चार्जेज ४१ नये पैसे बैठते हैं। रिपेयर्स और रैनुएल चार्जेज में ३० नये पैसे खर्च आता है। दूसरे ओवरहेड चार्जेज में भी ३० नये पैसे खर्च आते हैं और ब्याज अगर उस पर लगाया जाये तो १ मन चीनी पर १६ नये पैसे होता है और डैप्रीसिएशन भी १६ पैसे के हिसाब से लगाते हैं। इस तरह से कुल एक मन चीनी बनाने पर जो कारखाने में खर्चा आता है वह १६ रुपये ५२ नये पैसे है। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। इस पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है सरकार की तरफ से उसका अगर हम हिसाब लगायें तो वह एक्साइज ड्यूटी १० रुपये ६६ नये पैसे पड़ती है। शीरे का दाम २३ नये पैसे कम करके अगर हम हिसाब लगायें तो इस वक्त ३० रुपये ६५ नये पैसे के हिसाब से यह चीनी कारखाने में आकर पड़ती है। चीनी की मिल में जो ब्लौक कैपिटल लगा होता है, उस पर १० परसेंट का मुनाफा लगा कर और हर तरह के सरकारी खर्च और टैक्स लगा कर डैप्रीसिएशन, रिपेयर्स और रैनुएल चार्जेज लगा कर चीनी की कीमत कारखाने से निकलते वक्त ३० रुपये ६५ नये पैसे होनी चाहिये। जब गन्ने की कीमत बढ़ाई गयी तो ३६ रुपये शुगर की एक्स फैक्टरी प्राइस तय की गई थी और यह तय पाया था कि ५ रुपये प्रति मन से ज्यादा कोई भी शुगर फैक्टरी का मालिक मुनाफा न कमाये और सरकार की इस नीति के मुताबिक उन्होंने चीनी के दाम ज्यादा निश्चित किये हुये थे। जब इस तरह के आंकड़े हम पेश करने को तैयार हैं कि कारखाने में चीनी के उत्पादन का खर्चा और बाहर फैक्टरी से निकलते वक्त जो उसकी कीमत है उसमें दस परसेंट का मुनाफा शामिल करते हुए सारे टैक्सों को शामिल करते हैं तो वह ३० रुपये ६५ नये पैसे से ज्यादा नहीं पड़ती है और जिसकी कि वजह से शुगर की एक्स फैक्टरी प्राइस ३६ रुप तय की हुई थी।

जब गन्ने के दाम बढ़ाने का प्रश्न उठा और उसके दामों में तीन आने मन की बढ़ोतरी हुई तो चूंकि १०० मन गन्ने में वह १० मन चीनी की रिकवरी दिखाते हैं इसलिये उन्होंने ३० आने प्रतिमन चीनी के दाम भी बढ़ा दिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो आये दिन किसानों के साथ हमदर्दी दिखाने की बात करते हैं वह वास्तविक नहीं है बल्कि केवल दिखावा और जबानी जमा खर्च ही है। आप देश के किसानों की उन्नति नहीं कर रहे हैं वरन् उनके पैरों में कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं और उनको आप बर्बाद और नष्ट करना चाहते हैं। इस तरह से किसान का भला नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में ५, ६ मिलों में हड़ताल है, गन्ना उत्पादक हड़ताल पर हैं और वे अपना गन्ना मिलों पर नहीं ला रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस मशीनरी इस प्रयत्न में लगी हुई है कि किस तरह से इस गन्ना उत्पादकों की हड़ताल को तोड़ दिया जाय। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और १०० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और वे इस बिना पर गिरफ्तार किये गये कि वे गन्ना उत्पादकों द्वारा मिलों पर गन्ना लाने की राह में रुकावट डाल रहे थे लेकिन फिर भी वहां पर हड़ताल को रोक नहीं पाते और वह हो रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस मामले पर उचित रूप से ध्यान नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन ऐसा गन्ना उत्पादक होगा जो कि अपने गन्ने को अपने पास रखना चाहेगा और उसको बेच कर उसका उचित मूल्य नहीं लेना चाहेगा? गन्ना पैदा करने वाले दिल से चाहते हैं कि उनके गन्ने को खरीदा जाय क्योंकि उनको बेचने में ही उनका हित है और गन्ना एक पैरिशिबिल कमोडिटी है। अगर उसको अपने गन्ने का उचित दाम मिले तो वह क्यों हड़ताल करना चाहेगा? सरकार को उन्हें इसके लिये मजबूर नहीं करना चाहिये कि नहीं उन्हें उसी वक्त

पर गन्ना बेचना पड़ेगा और अगर हड़ताल करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जायेगा । जब भी आप किसी पदार्थ की राशनिंग और कंट्रोल करते हैं तो पहले से देख लेते हैं कि उसकी कौस्ट प्राइस क्या है और उस पर कितना मुनाफा देना चाहिये और तब उसकी कीमत तय करते हैं लेकिन गन्ने के लिये सरकार अपनी असमर्थता प्रकट करती है कि वह यह पता नहीं लगा सकती कि एक मन गन्ना पैदा करने के लिय कितना खर्चा हो जाता है और इसलिये आप गन्ना उत्पादकों को पुलिस की मदद से इस बात के लिये बाध्य करना चाहते हैं कि तुम्हें फलां प्राइस पर ही अपना गन्ना फैक्टरीज को देना होगा तो मैं कहूंगा कि यह तो उनके साथ सरासर अन्याय करना हुआ । यह तो देश का और किसानों का विकास और उन्नति करना नहीं हुआ । मैं जानता हूं कि इस तरीके से किसानों को फायदा नहीं हो सकता है और न ही चीनी का उत्पादन बढ़ सकता है । हम सब चाहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़े क्योंकि चीनी की मांग सर्वत्र बढ़ रही है । चीनी का लोग पहले से अधिक उपभोग कर रहे हैं और जाहिर है कि देश में चीनी का उत्पादन बढ़ना चाहिये । मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा जो कि यह सुझाव दूं कि हम चीनी बाहर से अपने वास्ते मंगायें । मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि चीनी का बाहर से हिन्दुस्तान में आयात किया जाय । जाहिर है कि जब चीनी बाहर से आयात करना नहीं है और देश में उसकी मांग बढ़ती जा रही है और आप कहते हैं कि चूंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है इसलिये चीनी की तरफ लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से उपाय काम में ला रहे हैं जिससे कि चीनी का उत्पादन यहां देश में बढ़ सके । अब देश में बारबार जो हड़तालें होती हैं उनके माने यह हैं कि उत्पादन कम होगा । यह आशा करना तो फिजूल है कि जब हड़ताल खत्म हो जायेगी तो गन्ने को चीनी मिल में ले जाकर जमा कर लिया जायगा और चीनी बना ली जायगी क्योंकि ऐसा होना सम्भव नहीं है कारण जो गन्ना मिल में नहीं जायेगा उसका गुड़ बना दिया जायगा । वह तो एक नष्ट होने वाली चीज है । उसको खड़ा नहीं रख सकते । सरकार कहती है कि sugarcane is a perishable commodity. So there *is no question of strike by the* sugarcane growers. इस तरह से बार बार उनकी ओर से यह बात कही जाती है कि कभी गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल करने का सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि यह नष्ट होने वाली चीज है लेकिन जाहिर है कि जब यह नष्ट होने वाली चीज है और हड़ताल होगी तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि उत्पादन कम होगा और चीनी मिलों में गन्ना अधिक मात्रा में नहीं आयेगा । पिछले साल आपका उत्पादन उतना नहीं था जो कि देश की जरूरत के लिये काफी होता । देश को जरूरत थी २१ लाख टन की और १९ लाख ७२ हजार टन पैदा हुई और जब चीनी की पहले से कमी अनुभव की जा रही है तब इन हड़तालों का क्या नतीजा होगा क्या सरकार ने यह भी सोचा है ? ऐसी हालत में जाहिर है कि चीनी का उत्पादन अधिक सम्भव न हो सकेगा और जो चीनी का स्टाक पहले का है वह सारा खत्म हो चलेगा और मैं जानना चाहता हूं कि उस हालत में हम अपने बढ़ते हुए चीनी के खर्चे को कहां से पूरा करेंगे ? असल में दिक्कत यह होती है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता जो कि गन्ना उत्पादकों के हित में हो और यह बहुत जरूरी है कि गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य मिले और जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले ।

यह बार-बार कहा जाता है कि गन्ने की किस्म को अच्छी करने के लिये ताकि उससे ज्यादा रिकवरी हो सके, प्रयत्न होना चाहिये लेकिन क्या सरकार की मौजूदा पालिसी से यह चीज सम्भव हो रही है ? सरकार द्वारा

[श्री बच राज सिंह]

उसके लिये चर्चा किये जाने की बात होती है लेकिन देखा यह जाता है कि गन्ना उत्पादकों को कुछ मिलने की बजाय कुछ अन्य लोग होते हैं जो कि उसका फायदा उठा ले जाते हैं और आम तौर से किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाता।

उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने के उत्पादक रहते हैं वहां से गन्ना मिलों तक गन्ना लाने के लिये सड़क बनाने की योजना बनी लेकिन वह अभी पूरी नहीं हो पायी है। बिहार के मुख्य मंत्री ने अपनी एक अपील में किसानों से कहा कि दो पैसा प्रति मन के हिसाब से वह सड़क के लिये दें, उतना ही वह मिल मालिकों से लेंगे और कुछ सरकार देगी, इस तरह से सड़क बनायी जाएगी। यह सब होने पर भी सड़क नहीं बन पाती। आप सड़क बनाने के लिये भी किसान से पैसा चाहते हैं। यह दृष्टिकोण बदलना चाहिये।

पिछले दिनों जब हमने खाद्य मन्त्री महोदय से जानना चाहा कि इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन के मुताबिक सरकार चीनी के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिये तैयार है या उसको कोआपरेटिव सोसाइटीज को देने के लिये तैयार है तो खाद्य मन्त्री के पास और कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं देंगे और न इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। एक तरफ तो आप प्रचार करते हैं कि सहकारी आन्दोलन को बढ़ाना चाहिये और खेती तक सहकारी तरीके पर होनी चाहिये, लेकिन जब कहा जाता है कि आप चीनी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते तो कम से कम इस काम को गन्ना उत्पादकों की सोसाइटीज को दे दीजिये, तो उसके लिये भी सरकार तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार के सामने कौनसी आपत्ति है? आप चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन का विकास हो। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी सोसाइटीज को यह काम दीजिये और अगर उनको नहीं देना चाहते तो दूसरे उत्पादक सोसाइटियां बनाने के लिये तैयार हैं, उनको यह काम दीजिये। जितनी मिलें हैं उनको गन्ना उत्पादकों की सोसाइटियों को चलाने के लिये दीजिये तो यह सारी समस्या हल हो जाएगी। आज केवल ४६ खानदान हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री बुशवक्त राय जी ने कहा, जो कि सारे देश में इस व्यवसाय को चला रहे हैं। उन खानदानों के मुकाबले में न आप तैयार हैं गन्ना उत्पादक को पूरी कीमत देने के लिये, और न आप तैयार हैं उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिये। न आप इसके लिये तैयार हैं कि गन्ना उत्पादक अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना लें और वे सोसाइटियां इन मिलों को चलावें। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कहां पर और किसका नुकसान है। आपके सामने इन ४६ परिवारों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। पर हम यह तो नहीं कहते कि उनको खत्म कर दिया जाए। आपके संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक आप उनको मुआवजा दें लेकिन इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये . . . .

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय सदस्य खत्म करें। आपको बीस मिनट तो हो गया।

श्री बजराज सिंह: मैं तो समझता था कि कि आप मुझे आधा घंटा देंगे, मैं पांच और मिनट में खत्म कर दूंगा।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस काम को कोआपरेटिव सोसाइटीज को देने में आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मेरा इतना ही सुझाव है कि अगर सरकार चीनी की इस समस्या को हल करना चाहती है, अगर सरकार गन्ने के उत्पादकों की समस्या को हल करना चाहती है, अगर सरकार हिन्दुस्तान के चीनी के उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना

चाहती है, तो वह इन समस्याओं का हल इसी तरह से कर सकती है कि गन्ने के उत्पादक या उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मिल कर सोसाइटियां बनायें और उनके द्वारा यह व्यवसाय चलाया जाये। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार के सामने कोई आपत्ति है जिसकी वजह से वह ऐसा नहीं कर सकती, तो वह उस आपत्ति को सदन के सामने रखे। कहते हैं कि नई मिलों को कोआपरेटिव सोसाइटीज को देंगे। लेकिन पुराने मिलों के बारे में क्या कठिनाई है ? मैं यह साबित कर सकता हूं हूं कि चीनी उद्योग में जितना रुपया लगाया गया है उसका दस गुना तो चीनी के उत्पादक ले चुके हैं और जो उनके असेट्स हैं वह उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी से कहीं ज्यादा के हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह काम क्यों नहीं कर सकते। आप इसमें किसकी हत्या करने जा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप इस काम को करेंगे तो वह सरकार की नीति के ही अनुसार होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति हो सकती है जो कि आम लोगों की समझ में न आ सकती हो जिसकी वजह से आप यह काम नहीं कर सकते।

मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय ने कहा था कि पिछले सन १९५७ के आम चुनावों में इन चीनी के उत्पादकों ने ५० लाख रुपया कांग्रेस को दिया था। यह ठीक है कि यह सबको नहीं मिलता और न सबको यह मालूम हो सकता है। लेकिन चीनी का मामला मीठा होता है और यह ४६ आदमी मिठाई में ले जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में हड़ताल हो रही है। इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिए अभी किसान में ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी इस समस्या का हल नहीं करेंगे तो आगे चल कर किसान कह सकता है कि हम चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे और आपकी पुलिस की लाठी और गोली का या आपके प्रलोभन का उस समय उस पर कोई असर नहीं होगा। उस समय उत्पादक चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे चाहे वह खंडसारी के लिए या गुड़ बनाने के लिए दे देंगे। तो आज जो उनकी मजबूरी है उसका आपको फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज वह किसी दूसरे तरीके से अपने गन्ने का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसलिए आप उसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आप अच्छी नहीं करते। आपको इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर गन्ने के उत्पादन यह मांग करते हैं कि उनको दो रुपया मन गन्ने का दाम दिया जाए तो यह ऐसी मांग नहीं है जिसको कि नाजायज समझा जाए। गन्ने का उत्पादन व्यय एक रुपया १४ आना मन से कम नहीं होता। आप उसको एक मन पर दो आने का मुनाफा तो जीजिए जब कि आप चीनी के मिल मालिकों को इतना मुनाफा दे रहे हैं और गन्ने का दाम दो रुपया मन देने से चीनी की कीमत नहीं बढ़ सकती।

खाद्य मंत्री ने कहा कि वह निकट भविष्य में मूल्य निर्धारण के लिए एक स्टेटयूटरी बोर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन वह बोर्ड तो जब बनेगा तब बनेगा फिर यह पता नहीं कि उसमें उत्पादकों का क्या प्रतिनिधित्व होगा। सम्भव है खाद्य मंत्री महोदय उसमें एक्सपर्टस को रखें। वैसे तो यहां का ७० प्रतिशत आदमी इस मामले में एक्सपर्ट है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि जो एक्सपर्ट बोर्ड में रखा जावेगा वह किसान के हित के खिलाफ तो नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त यह समस्या तो अभी हमारे सामने है जिसको हमें हल करना है। जब बोर्ड बन जाएगा तो वह तै करेगा कि किस किस चीज का कितना कितना मूल्य रखा जाए। लेकिन इस वक्त तो इस समस्या को हल करना है। आप चीनी के मिल मालिकों

[श्री अजयराज सिंह]

को इस वक्त इस बात के लिए राजी करें कि वह गन्ना उत्पादकों को दो रुपया मन दाम दें। ऐसा करने से गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा।

अभी आपने चीनी का मूल्य निर्धारित कर दिया है लेकिन फिर भी वह चीनी उपभोक्ताओं को उस मूल्य पर नहीं मिल रही है। दक्षिण में और हिमाचल प्रदेश में दो रुपया सेर चीनी का भाव है। दूसरी तरफ हम इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इस प्रश्न को सरकार को सहानुभूति के साथ सोचना चाहिए।

कहा जाता है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा तो चीनी का मूल्य भी बढ़ जाएगा। पर मैं साबित कर सकता हूं कि गन्ने का मूल्य दो रुपए मन देकर भी चीनी का दाम ३२ रुपए मन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको चीनी का दाम ३८, ३९ या ४० रुपए मन करने की जरूरत नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो चीनी का मूल्य निर्धारित करें उस मूल्य पर उपभोक्ता को सारे देश में चीनी अवश्य मिले इसका भी प्रबन्ध होना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात और सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपने टेंडर सिस्टम लागू किया। बार बार खाद्य मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा जाता है कि यह सिस्टम इसलिए लागू किया गया जिससे कि लोगों को फायदा हो। लेकिन उस दिन तो उन्होंने कह दिया कि टेंडर सिस्टम में इसलिए गड़बड़ी हो गयी कि जितनी चीनी थी उससे ज्यादा लेने वाले हो गए। आपको इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए था। जिन लोगों ने पहले चीनी का व्यापार किया हो उनको ही चीनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन बहुत से ऐसे आदमियों को इस सिस्टम में चीनी दी गयी जिनका पहले चीनी के व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। नतीजा यह हुआ कि बहुत से ऐसे लोगों को जो चीनी का व्यापार नहीं करते थे उनको तो चीनी मिल गयी पर जो चीनी का व्यापार करते थे उनको नहीं मिली। इससे समस्या और भी उलझ गयी।

तो मेरा निवेदन है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में हड़ताल चल रही है उसको आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं अगर आप ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जो कि सहानुभूतिपूर्ण हो। सरकार शब्दों में तो कहती रहे कि हम किसान का विकास और उस की उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन उस के कार्य इस तरह के हों कि किसान की जड़ ही काट दें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन बाद, दो दिन बाद, साल, दो साल बाद उस को बुद्धि आयगी, उस को प्रकाश आयेगा, उस में जागृति आयगी और वह अपने अधिकार जान जायगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब किसान को ज्ञान आ गया है। अब उस को भड़काने की जरूरत नहीं है। यह कह कर कि कुछ लोग राजनैतिक फायदा उठाने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं, सरकार इस समस्या को टाल नहीं सकती है। सरकार को चाहिए कि वह इस पर विचार कर के इस हड़ताल को खत्म कराए और गन्ने की कीमत किसानों को दो रुपया प्रति मन दिलाए। चीनी का उचित वितरण किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में को-आपरेटिव सोसायिटों के द्वारा काम होना चाहिए।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बारह वर्ष पश्चात् भी

केन्द्रीय शासन गन्ने और चीनी के मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई तर्कसंगत और युक्तियुक्त नीति निश्चित नहीं कर सका है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश और बिहार की किसान सभाओं ने और सरकारों ने इस आशय की मांग रखी थी कि गन्ने का मूल्य एक रुपया सात आना से बढ़ाकर एक रुपया बारह आना प्रति मन कर दिया जाये। इस सदन में भी उस मांग पर बल दिया गया था। किन्तु शासन की ओर से उसे ठुकरा दिया गया और ठुकराते समय जो तर्क दिए गए, वे बड़े लचर थे और शायद आज के हमारे खाद्य मंत्री भी उन तर्कों को स्वीकार नहीं करते। उस समय कहा गया था कि गन्ने और गल्ले में एक लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में अगर गन्ना जीत गया और गल्ला पिछड़ गया, तो हमारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जायगा, इस लिए हम गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस से गन्ने की खेती बढ़ेगी, जिस का खाद्योत्पादन पर बुरा परिणाम होगा। यह संतोष की बात है कि हमारे नए खाद्य मंत्री श्री पाटिल साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि गन्ना जिस क्षेत्र में बोया जाता है, उस क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। वह हमारे सामने गन्ने और गल्ले की लड़ाई का कोई हौआ खड़ा नहीं करते और उन्होंने गन्ने के मूल्य को एक रुपया सात आने से बढ़ाकर एक रुपया दस आने कर दिया है। लेकिन यह एक रुपए दस आने की वृद्धि उस समय की गई है, जब गन्ना-उत्पादक दो रुपए प्रति मन की मांग कर रहे हैं। वह मांग ठीक है या नहीं, इस की मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक रुपया दस आने प्रति मन जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है, वह किस आधार पर किया गया है, इस के पीछे तर्क क्या है, कौन सा गणित है। किसान को एक मन गन्ना पैदा करने में कितनी पूंजी लगानी पड़ती है, कितना श्रम करना पड़ता है, उसे मिल के दरवाजे तक ढो कर ले जाने में कितना व्यय देना पड़ता है, क्या इस सब को जोड़ बिठा कर और तर्क संगत आधार पर यह एक रुपया दस आने मन का मूल्य तय किया गया है, या सरकार, गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, इस आवश्यकता को स्वीकार करती थी, मगर वह एक रुपया बारह आने प्रति मन या दो रुपया प्रति मन होना चाहिए, इतना उस ने स्वीकार नहीं किया, तो एक मनमाने ढंग से, अलल-टप्पू तौर पर एक रुपया दस आने मूल्य निर्धारित कर दिया?

उपाध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया है कि अभी *तक गन्ने के उत्पादन में प्रति एकड़ कितना* खर्च होता है, प्रति मन उस का कितना मूल्य होता है, यह अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार को यह पता नहीं है कि एक मन गन्ना पैदा करने में कितना खर्चा होता है, तो उस ने एक रुपया दस आने प्रति मन का मूल्य किस आधार पर तय किया है और अगर हम कहते हैं कि यह आधार गलत है, यह किसान को उस के परिश्रम का पूरा प्रतिफल नहीं देता है, इससे किसान को गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और अगर गन्ने की पैदावार में वृद्धि नहीं होगी, तो चीनी का उत्पादन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस आधार पर हमारी इस मांग को ठुकरा सकती है। या तो स्वयं सरकार के पास ऐसे आंकड़े होने चाहिए, जिन से सरकार यह प्रमाणित कर सके कि एक रुपया दस आने मूल्य जो तय किया गया है, वह वैज्ञानिक आधार पर तय किया गया है, या उसे फिर किसानों की इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और गन्ने का मूल्य दो रुपए प्रति मन बढ़ा देना चाहिए। जहां तक यह प्रश्न है कि गन्ने और चीनी का मूल्य क्या हो, जो पुराने खाद्य मंत्री थे, वह जाते जाते कह गए थे कि वह मामला टैरिफ

[श्री बाजपेयी]

कमीशन को सौंपा जा रहा है। मगर अभी तक उस की रिपोर्ट नहीं आई है। अब नए खाद्य मंत्री यह कह रहे हैं कि एक परामर्श-दात्री संस्था, एक स्टैचुटरी बाडी बनाई जायगी, मगर उस का काम केवल सलाह देना होगा और सरकार स्वतंत्र होगी कि उस की सलाह माने या न माने। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार सचमुच में उस मंडल में विशेषज्ञों को रखने वाली है, तो फिर उस को उस का निर्णय स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत होना चाहिए। और अगर सभी बातों का विचार कर के वैज्ञानिक आधार पर निश्चित किए गए मूल्यों में हेर फेर करने का सरकार को अधिकार होगा, तो फिर वे मूल्य उत्पादकों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए संतोषजनक नहीं होंगे और अगर सरकार केवल सलाहकार समिति बनाने वाली है, तो उस से काम चलने वाला नहीं है। उस से इस समस्या का हल नहीं होगा।

यह भी कहा जाता है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया, तो फिर हमें चीनी का मूल्य भी बढ़ाना पड़ता है और अभी सरकार ने गन्ने के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की और चीनी का मूल्य भी बढ़ा दिया। मैं नहीं समझता कि क्यों बढ़ा दिया गया। अभी हम एक अध्यादेश पर विचार कर रहे थे। उस अध्यादेश को वैधानिकता का जामा पहनाने वाला एक विधेयक भी हमारे सामने था। उस विधेयक के समर्थन में सरकारी पक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया, उस से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि अगर गन्ने के मूल्य में प्रति-मन तीन आना वृद्धि की गई, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि करने की क्या आवश्यकता थी। अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चीनी मिल-मालिक काफी मुनाफा कमा रहे हैं। चीनी का उद्योग ऐसा है, जिसको सरकार का सर्वाधिक संरक्षण मिला है। सरकार के आश्रय पर यह उद्योग पनपा है और मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना-उत्पादकों की कीमत पर मिल-मालिकों ने मुनाफे के अम्बार लगाए हैं। आज जब उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की बात की जाती है, तो मिल-मालिक धमकियां देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ कर सदास चले जायेंगे, जैसे मद्रास भारत के बाहर है और इस संसद् के हाथ मानों मद्रास तक नहीं पहुंच सकते और किसानों के परिश्रम और पसीने का पैसा काट कर जो मुनाफा वे अपनी जेबों में भर रहे हैं, वह वह संसद् उन की जेबों से निकाल नहीं सकती। मगर मिल-मालिक इस तरह की धमकियां देते हैं, यह सब के लिए एक गम्भीर बात है। सरकार चीनी की मिलों को अपने कब्जे में ले ले, सरकार चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करे, मैं इस के पक्ष में नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्रीयकरण को सभी रोगों की रामबाण औषधि मानने वालों में दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से कहिये, मैं नहीं हूं, मेरा स्थान उनमें नहीं है। राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हो सकती है लेकिन हर एक स्थान पर राष्ट्रीयकरण किया जाए इसमें मैं सहमत नहीं हूं। वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण होता है, और सरकारीकरण मुझे मान्य नहीं है। हां अगर गन्ना उत्पादक स्वयं मिलों को चलाना चाहते हैं और उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार को उनके मार्ग में बाधक बनना चाहिए।

15 hrs.

लेकिन चीनी की मिलें बिहार और उत्तर प्रदेश से दक्षिण में चली जाएंगी, इसलिए न तो गन्ना उत्पादकों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिले और न जो उपभोक्ता हैं उनको ठीक कीमत पर चीनी दी जाए इस स्थिति को सहन करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता। मगर आज

सरकार की जो मूल्य नीति है उसका परिणाम एक ही होता है कि जो गन्ने का उत्पादक है वह भी घाटे में रहता है उसे अपने परिश्रम का कम मूल्य मिलता है और जो चीनी का उपभोक्ता है, चीनी खाने वाला है उसको भी अधिक दाम देने पड़ते हैं। तो जो मूल्य नीति न तो उत्पादक के हितों का संवर्धन करती हो, न उपभोक्ताओं के हित में जाती हो, वह नीति ठीक नीति नहीं हो सकती है, वह नीति सही नहीं हो सकती, वह नीति गम्भीरतापूर्वक विचार के बाद निर्धारित की गई है, ऐसा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

इसलिए यह आवश्यक है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाए। दो रुपये प्रतिमन की मांग की जा रही है। मैं समझता हूं कि गन्ने के उत्पादन का जो खर्चा है अगर उसे जोड़ा जाए तो दो पये प्रतिमन की मांग कोई बहुत अधिक मांग नहीं है। लेकिन अगर सरकार दो रुपया प्रतिमन इसको नहीं कर सकती है तो उसे आंकड़े दे कर यह सिद्ध करना चाहिए कि किसान का उत्पादन व्यय कम होता है और वह एक रुपया दस आने मन में भी अधिक गन्ना पैदा करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। सरकार यह नहीं कर सकी है, इसलिए स्पष्ट है कि दो रुपया प्रतिमन की कीमत स्वीकार न करने के लिए उसके पास कोई सबल और ोस कारण नहीं हैं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए, यह आवश्यक है, लेकिन उसके साथ चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अभी सरकार ने गन्ने की कीमत थोड़ी सी बढ़ाई मगर चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी। ऐसा लगता है कि मिल मालिकों और किसानों के बीच में सरकार तराजू ले कर बैठी है और दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहती है और थोड़ा सा भी वह पलड़ा किसानों के पक्ष में झुक जाए वह समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार को शायद सहन नहीं है। इसलिए वह प्रयत्न कर ी है कि पलड़े दोनों बराबर रहने चाहियें। अगर गन्ने का मूल्य बढ़ गया तो चीनी का मूल्य भी बढ़ना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि उत्पादक को तथा उपभोक्ताओं को चीनी की कीमत और भी अधिक देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि किसान इस देश में बहुसंख्या में हैं। सरकार की नीति किसानों के हित में होनी चाहिए, किसानों के हित को और राष्ट्रीय हित को अलग नहीं किया जा सकता है। मिल मालिकों को अगर आप छूट देना चाहते हैं तो दें मगर वह किसान के उत्पादक के और उपभोक्ता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार की नीति इस दृष्टि से गलत है और मैं उसका विरोध करता हूं और मैंने एक संशोधन के द्वारा यह मांगा है कि गन्ने के मूल्य को दो रुपये मन किया जाए मगर उसके साथ साथ चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया जाए।

Mr. Deputy-Speaker: *I can only* allow those hon. Members who promise to finish within ten minutes their observations.

Shri S. M. Banerjee.

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री वाजपेयी जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं.....

Shri A. M. Thomas: My friend can speak in English I think.

Shri S. M. Banerjee: I rise to support the amendment moved by my hon. friend Shri Vajpayee that the sugarcane price be increased to Rs. 2 per maund without any increase in sugar price.

[Shri G. M. Banerjee.]

While supporting his amendment I must mention here for the information of the House that it was a long-awaited decision of the Government, but unfortunately this came as a bolt from the blue when the sugarcane price was increased from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0 only. I am also unable to understand the basis on which this price was increased. What were the statistics available with the Food Ministry or with the Food Minister? So, I should like to know the basis on which the sugarcane price has been increased. My own information is, it may be correct or incorrect, that even after paying Rs. 2 per maund, the price of sugar can be brought down, or can at least remain where it is, and there need be no increase.

Some evidence was placed before the Sugar Wage Board by my hon. friend Shri S. L. Saksena and others, and they proved that fabulous profit was being made by all the mill owners at the cost of the cane growers and also at the cost of the consumers. So, it is a matter for the country to consider whethre the sugar magnates should be allowed to make this fabulous profit.

The moment the question arises whether there should be a reduction in the sugar prices, immediately the sugar magnates threaten indirectly that if the Government does it, the entire sugar business will come to a standstill. When there is the question of increase in the sugarcane prices, they threaten to close down the mills, or that thre will be a substantial increase in sugar prices.

My calculations are very simple. If the cane price is increased to Rs. 2/- still sugar can be sold at the same price, and the only result will be that the fabulous profits that the mill owners are now making will be reduced to excessive profits, and still there will be excessive profits.

In Bihar and U.P. the sugarcane growers are on strike. The other day the Deputy Minister said that it was an ill-advised strike. I do not know whether it is ill-advised or well-advised, but I know one thing. Workers can go on strike if a slogan is given by any political party or some trade union leaders and others, because they are used to strike, but these peasants who are famous in this country for being peace-loving because they do not want any trouble from any quarter, cannot go on strike if it is ill-advised. The peasantry of this country know their fate, know it very well. They also know what is going to benefit them and what cannot benefit them. So, it should not be said by the hon. Minister that the strike is ill-advised

I know the U.P. Government can crush this strike, because they have tried it in the past, and they have been successful, but my submission is that the representatives of the cane growers, along with certain leaders, met even the hon. Prime Minister with the hope that the strike could be avoided. Nobody was trying for a strike; every one was for averting it. Even on the day Shri S. L. Saksena left Delhi for his constituency and for touring this area he told me that they would try their best to see that the strike was avoided. I met Shri Ganda Singh when he was here. I asked him about the strike, and he said that they would try their best till the last day, the last hour, the last minute, to see that the strike was averted. But, unfortunately, with the rigid approach that they have, and with a certain conviction which they have—I do not know whether it is an honest conviction—Government do not want to raise it; and they do not want to raise it, just because they want to to please a handful of millowners who, they think, are the actual persons who are helping them or the State Government. I want to ask a straight question. Are they not making profits? Have we not any statistics to show that during the last so-

many years, they have made fabulous profits, at the cost of the cane-growers and also at the cost of the consumers? If that is true, if what I say is even fifty per cent true, can the price not be increased to Rs. 2?

So, there is no logic behind the present price. There is no argument behind it; there is no reasoning behind it. It is there simply because there is a powerful Government at the Centre and in State, and they are capable of crushing the cane-growers and the workers who are employed in these factories. They are denying fair wage or minimum wage to the workers, and at the same time, they are also denying increase in sugarcane price to the cane-growers.

My submission is that a proper commission should be appointed. Let Government appoint a commission. Let the hon. Minister collect all statistics and take some of the Members of this House into confidence, and try to prove that increase in sugarcane price means increase in prices. I am confident that with the little knowledge of the sugar industry that I have, I shall be able to prove that this is a wrong thing. If this whole strike is conducted, and is prolonged for two or three days or even five days, I can tell you honestly that the whole sugar industry in U.P. will come to a standstill. And who will lose? The country at large will lose. All the consumers will lose. For, there is already a shortage of sugar; or, if there is no shortage, at least the prices have gone up.

So, my submission is only this. Let Government not make it a prestige question. Let them deal with the sugarcane growers and with their representatives, and with those leaders, and not say that they do not recognise that association or those people. Today, fortunately or unfortunately, the hon. Deputy Minister, who is also a citizen of this country is in power. Should he not recognise his own people? What is this question of recognition? What does this non-recognition mean? I am unable to understand.

So, my submission is that a commission should be appointed immediately which should go into the question whether prices can be increased without any increase in sugar prices; if not, the reason should be told to the Members of this House and to the canegrowers who are on strike. Let there be no effort to crush this strike.

We have been telling all these canegrowers that we are having a Ramraj. But what is the conception of Ramraj today? I want to ask the hon. Minister frankly. It can be according to the conception of Mahatma Gandhi, namely that every man should be happy, every man should have something to eat, something to clothe himself with, and some house to live in. Or else, there can be a true Ramraj where our beloved Prime Minister becomes Ram, and all the four hundred million people of this country become actually the *vanara senas* without any clothes and without anything, and they live on tree tops and so on.

What is the conception of Ramraj today? How are we to explain to the people that this is the conception of Ramraj? If you want to have Ramraj, there are two ways of doing it. If you choose the latter way, it is all right, and I agree that we are heading towards that Ramraj.

Shri N. N. Patel (Bulsar—Reserved—Sch. Tribes): In Ramraj, there was a Ravana also.

Shri S. M. Banerjee: There are Ravanas now also, I am sure; unfortunately, Ram of today is surrounded by Ravanas....

Mr. Deputy-Speaker: Let not Ravan and Ram be introduced here to have a fight.

Shri S. M. Banerjee: My submission is that immediate action should be taken to end this strike, and to increase the price to Rs. 2.

[Shri S. M. Banerjee.]

With these words, I support the amendment moved by my hon. friend Shri Vajpayee.

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले खाद्य और कृषि मन्त्री श्री एस० के० पाटिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और उसे मान कर गन्ने की कीमत १ रु० ७ आ० मन से १ ० १० आ० मन तक बढ़ाई । लेकिन यह कहते समय मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज जो चीनी की अहमियत है, जो खांड की अहमियत है, इस देश के अन्दर वह बहुत ज्यादा है । बावजूद इस बात के कि कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चीनी के बगैर हम मर नहीं सकते, एक बात सही है कि पिछले दस सालों के अन्दर अगर किसी चीज की खपत देश में दुगुनी हुई है तो वह चीनी की है । यह अच्छी बात है या बुरी बात है देश के लिये, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है । यह बात सच है कि दस सालों में इसकी खपत दुगुनी हो गई है और आगे भी दस सालों में इसकी खपत दुगुनी या इससे ज्यादा बढ़ेगी । ज्यों ज्यों देश की तरक्की के लिये ज्यादा रुपया खर्च होता जाता है, चीनी की मांग और मि ाई की मांग बढ़ती जाती है । अगर उसे हमें और भी बढ़ाना है तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब हमारी यू० पी० की स्टेट कांग्रेस पार्टी सदस्यों और दूसरे सदस्यों ने मिल कर एक प्रस्ताव पास किया और इसी तरह से बिहार के सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का मूल्य जो है वह १ रु० १२ आ० निर्धारित होना चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोगों के पास, जो प्रजातन्त्र के हिमायती हैं, कैसे यह हक रह जाता है कि हम उनकी इस सलाह को न मानें । अगर हम पिछले साल उन की सलाह नहीं मान सके तो मैं चाहता था कि हम इस साल तो बढ़कर उनकी सलाह को मानते और अच्छा होता कि १ रु० १० आ० मन के बजाय १ ० १२ आ० मन गन्ने की कीमत रखते ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अब तो वह २ ० मांगते हैं ।

चौ० रणबीर सिंह : मैं मानता हूं कि समय आयेगा जब हम को उन्हें २ रु० मन भी देना होगा ।

श्री बजराज सिंह : अभी देना होगा ।

चौ० रणबीर सिंह : हमें मालूम होना चाहिये कि इसकी क्या वजह है कि इस देश के अन्दर हर एक चीज की कीमत, हर एक आईटेम की कीमत बढ़ रही है लेकिन १० सालों के अन्दर अगर किसी चीज की कीमत घटी है तो वह गन्ने की घटी है । चीनी की भी कीमत बढ़ी है लेकिन गन्ने की कीमत घटा है । आखिर गन्ने को भी कोई ैदा करता है, और गन्ने को पैदा करने वाले कोई एक, दो आदमी नहीं, दो करोड़ इन्सान हैं । अगर कोई यह समझता हो कि उन पर किसी एक पार्टी का असर है, तो वह गलती करता है, उन पर किसी पार्टी का असर नहीं है । आज का किसान काफी समझदार है, वह समझता है कि किस चीज के बोने में उसका नफा है । अगर इस चीज को देखा जाय तो पिछले दस बारह सालों के इतिहास में जिस जिस चीज की कीमत बढ़ी उसी उसी चीज की पैदावार अगले सालों में बढ़ गई । अगर हम चाहते हैं कि चीनी की पैदावार बढ़े तो इसके लिये जरूरी होगा कि जो गन्ना पैदा करने वाले हैं उनको गन्ने की कीमत को बढ़ायें । हम इस मसले को हल नहीं कर सकते अगर हम कहें कि यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत का झगड़ा है, इससे भी मसला हल नहीं हो सकता अगर कोई कहे कि यह खंडसारी और शुगर फैक्ट्रीज का झगड़ा है ।

यह भी गलत है। ग्रभी हमारे दोस्त ने कई आंकड़े पेश किये। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि कि इस झगड़े को मिटाने के लिये ताकि देश की हुकूमत के लिये यह झगड़ा पैदा न हो, अगर इस प्राइस बोर्ड की जरूरत पड़े और सरकार उसे न बनाना चाहे, तो जरूरी है कि सारे देश को जितनी शुगर मिलें हैं वह सब कोआपरेटिव सोसायटी की मिलें बना दी जायें। हमने जब इस चीज को पास किया, इस सदन ने पास किया और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे माना है कि हम इस देश के अन्दर कोआपरेटिव को बढ़ावा देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस को छोड़ कर कौनसी ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम कोआपरेटिव को बढ़ावा दे सकते हैं। गन्ने की मिलें ही ऐसी चीज हैं जिनके अन्दर घाटे की कोई सम्भावना नहीं। बगैर घाटे के डर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे यह झगड़ा भी खत्म हो जाता है कि गन्ना पैदा करने वालों को क्या मूल्य मिले। अभी कई लोगों ने कहा कि कमीशन बने। कमीशन बन कर क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। वह किस तरह से इमदाद कर सकता है किसानों की, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं, और यह एक ऐसी चीज है जिसको बगैर किसी कमीशन के फैसला किया जा सकता है, कि गन्ने की जितनी मिलें हैं वह सारी की सारी समाजवादी ढांचे पर कोआपरेटिव सोसायटी की बनें। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि मिलें जो हैं उनकी मशीनरी पुरानी हैं। जब हम कोआपरेटिव सोसायटी की मिलों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कई सदस्यों का विचार है कि इसकी क्या जरूरत है कि हम पुरानी मिलों को खरीद कर कोआपरेटिव बनायें। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर एक मिल की एक बुक वैल्यू होती है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और डिप्रिसिएशन चार्जेज को छोड़ कर इन्कम टैक्स के अन्दर कमी भी कराई जाती है। इस सबके हिसाब से एक कीमत मुकर्रर होकर हर एक मिल की, इनकम टैक्स के कायदे के मुताबिक जिस शुगर फैक्टरी की जो कीमत हो उस कीमत के ऊपर वह किसानों को दे दी जाय। सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसान इतना रुपया न इकट्ठा कर सकें तो सरकारी बैंक जो है, रिजर्व बैंक उनकी मदद के लिये आये और उनको रुपया दे। इसके अलावा एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरा तजुर्बा एक शुगर कोआपरेटिव फैक्टरी का है कि यह जो सरकार का कहना है कि हम शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आया है। शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को जो सूद देना पड़ता है उस सूद की दर वही है जो कि एक आम आदमी को या कोई एक कम्पनी जो कि शुगर फैक्टरी चलाती है उसको देना पड़ता है और जो सहूलियत एक कारखानेदार और एक कम्पनी को मिलती है वही सहूलियतें कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को मिलती हैं। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हम कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ब्याज की दर में उनको कोई रियायत नहीं देते हैं और न कोई और भी रियायत उनको देने को तैयार हैं और हर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को तकरीबन ४०, ५० लाख रुपया सूद पर लेना होता है और उनको भी उसी भाव से और उसी सूद पर कर्ज दिया जाता है जैसे कि एक आदमी या कम्पनी को दिया जाता है। ऐसी हालत में मेरी समझ में तो यह कहना कि सरकार कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को पनपाना चाहती है और प्रोत्साहन देना चाहती है केवल जबानी जमाखर्च ही हो जाता है। अगर हम वाकई जो कहते हैं उसको करना चाहते हैं तो एक तो यह होना चाहिये कि जितनी भी शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज के जिम्मे कर्जा हो, उस पर रिजर्व बैंक की जो बैंक रेट है उसके हिसाब से उनसे सूद लिया जाय जो कि रुपया उन्होंने शुगर फैक्टरीज को लगाने के लिये लिया हो। का यह बर्किंग

[चौ० रणवीर सिंह]

कैपीटल की शक्ल में हो और चाहे वह इंस्टाल करने की शक्ल में हो उस सारे के सारे कैपीटल के ऊपर जो सूद की दर हो वह रिजर्व बैंक की दर से हो। मैं चाहता हूं कि यह हिदायत लागू हो।

इसके अलावा जितनी और दूसरी शुगर फैक्टरीज हैं वह शुगर फैक्टरीज तमाम की तमाम बुक वैल्यु पर किसानों को दे दी जायें और वहां पर उनकी सोसाइटियां बनाई जायें। इसके बाद में एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर उत्तर और दक्षिण का झगड़ा खड़ा किया जाता है लेकिन यह अजीब हालत है कि दक्षिण की शुगर मिलों के मिल मालिक शुगर की अपने यहां रिकवरी १६ फी सदी तक दिखाते हैं। वहां पर चीनी का भाव उत्तर की अपेक्षा अधिक होता है तो इस चीज का फायदा कौन उठाता है ? अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश की चीनी जो खर्चा डाल कर बम्बई या मद्रास के अन्दर पड़ती है उस भाव से उसकी दर मुकर्रर करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां १६ परसेंट रिकवरी हो उसका तो भाव वहां दक्षिण भारत के अन्दर या बम्बई के अन्दर हमारे वहां से कहीं सस्ता होना चाहिये वह क्यों महंगा है ? वह क्यों सस्ता नहीं करते ? उसका कौन मुनाफा उठाता है ? मैं कहना चाहता हूं कि उसका बहुत ज्यादा हिस्सा कारखानेदार की जेब में जाता है और इसलिये उचित यह होगा कि कारखानेदार की जेब को हमारी सरकार को देश की भलाई के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिये।

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur): The sugar Industry has been classed as the second largest from the financial point of view in India. It is regrettable that this Government has controlled this industry from head to foot but has not been able to place it in a stable condition. Always there is some grievance, sometimes from the consumer, sometimes from the cane growers, sometimes from the industry, sometimes also from Government. Everybody is complaining against the other, without any relevant and true facts in support.

I do not say that the sugarcane price should not be increased. But to say that it is unprofitable to grow sugarcane at the price of Rs. 1-7 per md. or—as is now said—at Rs. 1-10 per maund is not correct. I think it can be profitably grown at that price.

एक माननीय सदस्य : आपने गन्ने की काश्त की भी है ?

श्री झुनझुनवाला : जी हां बहुत की है। आपसे बहुत अधिक की है।

चौ० रणवीर सिंह : पहले कभी करते थे।

श्री झुनझुनवाला : अभी भी कर रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Jhunjhunwala: The whole question is whether the poor cultivator can grow at that cost or not.

Pandit K. C. Sharma (Hapur): Why should there be poor cultivators?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Jhunjhunwala: Because, of course, people like you are there to advise them.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue to address he Chair.

Shri Jhunjhunwala: My hon. friend on that side asked me just now.....

Shri Vajpayee: We are on the right side.

Shri Jhunjhunwala: I did not say 'left side'; I said 'that side'

He asked me whether I had any experience of sugarcane cultivation. I

said, 'Yes, I have'. At present, I am not doing anything. But I am in contact with both. If the sugar manufacturers come and tell Government that they are making losses, it is wrong, absolutely wrong. They are making very great profits. Whatever it may be, it is the consumer who is suffering. Neither the sugarcane grower, nor the manufacturer nor the Government—the Government takes its excise duty all right—is suffering. The Government has already charged Rs. 2 per maund from the millers. I do not grudge it. The Government has charged it all right. But then what about the consumers. I would ask the Deputy Minister to tell me at what rate at present in different parts of India the consumers are getting retail sugar. They are getting it at a rate higher than the factory price or the price that has been fixed.

This question is being discussed almost every year. Voices are raised that the sugarcane growers are being crushed. I say—as I have said previously—that they have not got the wherewithal by which they can grow sugarcane profitably. From the very beginning, when Government took sugar control in its hands, it put in a very small cases of 6 pies per maund of cane. It was promised that the proceeds of this cess would be utilised for improving cane cultivation. I would like to have detailed information from the hon. Minister as to what improvements have been made in sugarcane cultivation, whether the sucrose content has increased. I do not want, as my hon. friend did, to compare the production per acre in Bihar and UP with that in the South, because there is difference in climate and difference in yield. But I would like to have some information on the point whether cultivation has improved. So far as my information goes, there has not been much improvement. If sugarcane cultivation is carried on scientifically and if the cultivators are provided with all the wherewithal whereby they can invest money in time, sow the seeds in time and so on, I do not think there will be any grievance. Supposing the production of sugarcane increases, say from 20 tons per acre to 40 tons—which can easily increase—in that case, instead of getting Rs. 1|10 in place of Rs. 1|7, they will get Rs. 3|4 because it has increased from 20 tons to 40 tons. In that case we shall help the nation as a whole. We shall be able to export sugar. It is because we cannot grow cane at a cheaper rate we cannot get the full use of the cultivation. Our cultivators are not cultivating or growing cane scientifically. I do not say that they are not doing so intentionally. If they get the wherewithal and if Government help them in all ways, in getting seeds in time, manure in time and irrigation facilities in time they would be able to do that.

All my hon. friends who have been talking on this side, I think, have never cared to go to the cultivators and tell them these are the methods by which they can increase production from 20 tons to 40 tons per acre. They have never gone there in the same spirit in which they are now talking for the price. (*Interruption*). Of course, they are cultivators and they must have been trying it. I do not say that they are not. But there is something lacking; I do not know what it is.

At present the millers owning big farms are making more profits by cultivation in some factories rather than by manufacturing sugar. They are perhaps....

An Hon. Member: Black-marketing. (*Interruptions.*)

Shri Jhunjhunwala: Don't talk.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; what is this?

Shri Jhunjhunwala: Black-marketing there is. I say it is there; because of you black-market prevails.

Mr. Deputy-Speaker: Would this remark show that the presiding officer was busy in black-marketing?

Shri Jhunjhunwala: No, Sir, it would not show that. I was turning my face to him.

Mr. Deputy-Speaker: But the face would not be reflected in the debates.

Shri Jhunjhunwala: What I was saying is this. The most necessary thing now is that we should try to improve the cultivation so that we may be able to increase the yield.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must conclude soon.

Shri Jhunjhunwala: In that case I won't be able to say anything.

The yield per acre would increase and thereby we can reduce the production price of sugar and we can export sugar. It is also necessary to decide what should be the price of sugarcane and what should not be the prices. But simply by guess work we cannot say that Rs. 1|10 is not sufficient and Rs. 2|- is necessary, whereas the Government says, 'No; it must be utmost Rs. 1|12|-'. They have absolutely no data with them for fixing the price. So, in order that all these things could be solved Government should appoint a committee. They should fix up a price on the basis of sucrose content. It is for the committee to determine what should be the sugar price (*Interruptions*). The factories as well as the cane cultivators are making profits. If no factory or cane cultivator is not making any profit, it is not because they cannot do so but because the method they are adopting is not right.

Shri Maniyangadan (Kottayam): Sir, the Government notification increasing the price of sugarcane is a welcome measure. In recent months, and even now, the country is facing shortage of sugar and the ultimate solution for all this is only increased production. In order to give some incentive to the cultivators the price has been increased by 3 annas (*Interruption*).

I am coming from a State in the south which has not been referred to by any Member here. I think the Government also did not take into consideration the sugarcane cultivators of that State because the particular date on which this increased price came into force was 25th October, 1959. The Press Note issued by Government says that with effect from 25th October, 1959, the minimum price of sugarcane has been raised from Rs. 1|44 nP. to Rs. 1|62 nP. per md. for delivery at the gate of the factory and from Rs. 1|31 nP. to Rs. 1|50 nP. per md. for delivery at the purchasing centres connected by rail for the 1959-60 season's crop. It seems that according to Government the 1959-60 season's crop started from 25th October, 1959.

My submission is that that may be the case in other parts of the country but not so in Kerala. There is only one sugar factory in Kerala, the Pamba Valley Sugar Factory. There the crushing season started much earlier, that is, from the 27th September, 1959. And from that date to October 25, 1959, about 19,300 tons of sugarcane were supplied by the agriculturists to the factory. Subsequently also crushing was going on and sugarcane was supplied. From this particular date those who supplied sugarcane to the factory got the increased price. But those unfortunate cultivators who happened to supply sugarcane before this particular date but after the 27th September in this year's season itself got only the former price and their loss is estimated to be about Rs. 94,440|-.

In the same factory during the same season one section of the cultivators got one minimum price and another section get another price and this looks ridiculous. Therefore, something has to be done with regard to this. My only submission is that this increased price for sugarcane for this 1959-60 season's crop should be made applicable to all sugarcane supplied in this year whatever be the date of

supply. It should not be fixed only for sugarcane supplied after the 25th October, 1959. If we take India as a whole why should the cultivators of one portion be discriminated against? I do not say that Government purposely discriminated against them but it must have been some mistake. Whatever that be, it has to be rectified. Those cultivators who supplied sugarcane prior to this date in this 1959-60 season must be paid the increased price. There is the increased cess for the sugar that was in the factory on this date. I think the Government could make up this amount by some means or the other. If there is to be incentive for better production, there should be no discrimination between place and place or between grower and grower in the same factory. This matter must be looked into by the Government.

As regards the price of sugarcane, in our area, even now as the price stands increased, it is not adequate. I do not know what is the basis for fixing the price at Rs. 1·62. The cost of production has to be taken into consideration and the cultivators must be allowed to have a reasonable margin. I do not think that this has been gone into. In other regions also, this complaint that the price should be increased is there. If my information is correct, in the Pamba Valley Sugar Factory, the present price of sugar is sufficient for them to make good profits but unfortunately the cultivator is not paid adequate price. Even without increasing the price of sugar and without causing any trouble to the consumer, the price of cane could be increased and that should be done.

Regarding this particular date which was selected by the Government, maybe, it was due to the shortage of sugar and the difficulties that the people were feeling. But this factor that some cultivators had already supplied their cane was not taken into consideration. In U.P. and other places, the season begins in November and in those areas the advantage goes to the cultivators. I submit that this matter must be looked into.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कई सालों से यह सवाल उठता चला आ रहा है कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायें। इसके साथ ही साथ यह सवाल भी उठता आया है इस सदन में कि चीनी के दाम कम किये जायें। तीन साल से लगातार इस सदन में इस मामले पर बहस हो रही है। लेकिन अजीब बात है कि सरकार का व्यवहार इस मामले में उत्साहवर्धक नहीं रहा है। सरकार का व्यवहार देख करके मुझे तो महाकवि तुलसी दास जी की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था :

श्रीमद् बक्र न किन्ह के हा, प्रभुता बधिर न का हि। अधिकार पाकर इस तरह से हमारे शासक वर्ग के लोग किसानों को और तमाम देश की जनता को भुला देते हैं और कभी कभी जब वे जनहित की बात करते हैं तो उसमें थोड़े से आदमियों को जनता मान लेते हैं, बाकी को दुश्मन मान लेते हैं। तो मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया है कि जनता किस को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चार जिलों में हड़ताल चल रही है जिसके बारे में कभी कभी यह कह दिया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है लेकिन सभी किसान उसमें हिस्सा ले रहे हैं और इतना होने पर भी जब उस दिन यह सवाल यहां आया तो कहा गया कि यह पब्लिक हित में बात नहीं है। अब अगर मिल मालिकों को ही पब्लिक माना जाता है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर उनको ही सारी पब्लिक नहीं माना जाता है तो सरकार को अपने रवैये को बदलना होगा और लाजिमी तौर पर जनता की उन बातों को देखना होगा जिनके कारण न केवल चीनी का उत्पादन ही कम होता है बल्कि साथ साथ इस देश में अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है।

[श्री सरजू पाण्डेय]

मुझे याद है जब पिछले दिनों इस विषय पर यहां बहस हुई थी तो खाद्य मन्त्री जी ने कहा था कि अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायें तो लोग ज्यादा गन्ना बोने लगेंगे और जब वे गन्ना ज्यादा जमीन में बोयेंगे तब दूसरे जो खाद्य-पदार्थ हैं उनकी कमी पड़ जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि इससे चीनी के दाम भी बढ़ जायेंगे। सैकड़ों एक्सपर्ट कमेटियां बैठी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टों में कहा है और यह बड़ी साधारण सी बात है और सभी यह जानते हैं कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी। अगर गन्ना दो रुपये मन होगा तो चीनी के दाम ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं।

लेकिन एक तरफ तो चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उनको घटाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, दूसरी तरफ जब यह मांग की जाती है कि गन्ने के दाम भी बढ़ाये जायें, तो यह बहाना कर दिया जाता है कि लोग दूसरे अनाजों की खेती को छोड़ कर इसकी खेती करना शुरू कर देंगे और जब हड़ताल इत्यादि होती है तो लाठियों, गोलियों इत्यादि से काम लिया जाता है। मैं गोरखपुर, देवरिया इत्यादि पूर्वी जिलों को देख करके आया हूं और वहां पर मैंने देखा है कि किस तरह से मिल मालिकों के फाटकों के पास दस दस दिन तक गन्ने की गाड़ियां लगी रहती थीं और १५ तारीख को होने वाली हड़ताल को फेल करने के लिये वे बाहर से गन्ना मंगा कर इस्तैमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका गन्ना उन्होंने नहीं लिया है। वे आजकी ठंडी रातों में बाहर एक चादर के साथ पड़े रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार से इसके बारे में कहा जाता है तो जवाब दे दिया जाता है कि मिल मालिक वहां से भाग जायेंगे। अगर वे भाग जायेंगे तो उनके लिये तो आपकी लाठियां और गोलियां ठीक हो जायेंगी लेकिन गरीब किसानों के लिये वे तैयार हैं। अगर मिल मालिक भाग जायेंगे तब गोलियां नहीं चलेंगी, तब लाठियां नहीं चलेंगी, तब जनहित नहीं टूटेगा लेकिन अगर किसान कहेगा कि उसकी कमाई का हक उसे मिलना चाहिये तब उन पर लाठी, डंडा, गोली सब कुछ बरसाने की कोशिश की जायेगी। यह रवैया बदलना चाहिये और जनता के हित को देख कर सब काम होना चाहिये। दरअसल में हमें मुल्क के अन्दर लोगों को इतमीनान दिलाना चाहिये और जब आपने ऐसा किया तभी किसानों की हालत को आप सुधार सकते हैं अन्यथा नहीं।

यह बात भी माननीय मन्त्री जी को मालूम होनी चाहिये कि अगर किसानों की आर्थिक दशा खराब हुई, अगर किसानों के पास खरीदने की शक्ति न रही, तो ये मिलें भी बन्द हो जायेंगी, ये दूकानें भी बन्द हो जायेंगी, जब पैसा रहेगा ही नहीं तो वे खरीदेंगे कहां से। आज हालत यह हो रही है पूर्वी जिलों में कि उन्हें लगान का पैसा अदा करना है, कोआपरेटिव सोसाइटीज वाले और कर्ज वाले उनके सिर पर सवार हो रहे हैं और इतना होने पर भी उनको गन्ने का दाम इतना भी नहीं मिलता है जितना सूखी लकड़ी का आज है। आज सूखी लकड़ी दो रुपया मन बिकती है और जो गन्ना है वह एक रुपया दस आना मन। मेरे एक माननीय दोस्त ने ठीक ही कहा है कि अजब स्थिति है कि टके सेर भाजी, टके सेर खाजा बिक रहा है। आज ये दोनों ही बराबर हैं।

बहुत से फैक्टस सदन के सामने पेश किये गये हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे। गन्ने के दाम अगर बढ़े तो किसान ज्यादा खेती नहीं करेंगे। मेरी दर्जियों किसानों से बातचीत हुई है और उनसे मुझे पता चला है कि कोई किसान एक एकड़ में गन्ने की काश्त करता है, कोई

इससे भी कम में करता है । इस वास्ते यह बहाना बनाना कि गन्ने की खेती बढ़ जाएगी, जरूरत है । अगर इतना होने पर भी आप समझते हैं कि वह बढ़ेगी तो आप इस पर लिमिट लगा सकते हैं, आप इस पर कोई प्रतिबन्ध लगा सकते हैं लेकिन उनके हक तो उनको मिलने चाहियें ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि गन्ने के दाम तो बढ़ें लेकिन चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहियें । अभी जो बिल आया था और जो कि पास हो चुका है उसमें कहा गया है कि पिछली चीनी जो रुकी हुई है, जो कि स्टाक के अन्दर मौजूद है, उसी के ऊपर उस बिल का असर पड़ता है, यानी उसी पर टैक्स लगेगा । लेकिन आगे जो चीनी आयेगी क्या उसका दाम भी कम करने आप जा रहे हैं, क्या ऐसा बिल भी ला रहे हैं कि आइन्दा चीनी के दाम भी तय हो जायें, उसके दाम भी कम हो जायें ? इसलिये मैं समझता हूं कि एक कमीशन मुकर्रर होना चाहिये जो कि यह पता लगाये कि गन्ने उत्पादन पर क्या लागत आती है और साथ ही साथ वह चीनी की कीमत भी तय करे । अगर आपने ऐसा न किया तो इसका नतीजा यह होगा कि आपका समाजवाद का नारा धरा का धरा रह जायेगा, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह कागजों पर ही रह जायेंगी और दूसरी तरफ देश का आर्थिक ढांचा छिन्नभिन्न ही जायेगा और रात दिन झगड़े होते रहेंगे । इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का दोष नहीं होगा । मैं तथा मेरे दल के लोग भी यह नहीं चाहते हैं और न दूसरे दलों के लोग चाहते हैं कि हड़ताल हो लेकिन सरकार का जो रवैया है, वह भी बदलना चाहिये और जब वह लाठी और गोली पर उतर आती है तो उस वक्त उसका लाजिमी तौर पर जो नतीजा निकलता है, वह हमारे सामने आता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज ऐलान करें गन्ने के दाम बढ़ाने का ताकि किसानों में संतोष पैदा हो सके और अपनी तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं कि केवल झगड़े के लिये झगड़ा नहीं होगा । हम यह चाहते हैं कि किसान को उसकी मेहनत का उचित फल मिले और अगर उसको यह फल नहीं मिला तो इसमें कोई धमकी की बात नहीं, हमारे चाहने पर भी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी कोई उचित कदम उठायेंगे और गन्ने का भाव दो रुपया मन करने की घोषणा करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Subbiah Ambalam. There would be only seven minutes now.

Shri Supakar (Sambalpur): May I have a few minutes?

Mr. Deputy-Speaker: I will try but I cannot promise.

Shri Subbiah Ambalam (Ramanathapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have been listening to the speeches of hon. Members here, but they have been voicing the grievances of the cane growers and none of them has spoken about the interest of the consumers.

Shri Braj Raj Singh: We have.

Shri Subbiah Ambalam: The interest of the consumers in general has completely been ignored. I will only point out one or two instances to show how this matter, the interest of the consumers has been ignored.

Sir, when Shri A. P. Jain was at the helm of affairs as Minister of Food and Agriculture, in the last session he announced a uniform policy in declaring the sugar price as Rs. 1-10-0 per viss. The reason given was that the sugar millowners in North are not able to produce sugar at a lesser price. Whereas the cost of production in North Indian sugar mills is higher than that of the cost of production in the south, in order to make a uniform price, an all-India price, he declared that Rs. 1-10-0 should be the

[Shri Subbiah Ambalam]

price of sugar per viss. We know that the sugar mills in Andhra, Madras and Mysore were able to produce sugar at a lesser cost and market that sugar at the rate of Rs. 1-5-0 per viss. By making Rs. 1-10-0 as the uniform price the millowners there were able to make a profit of 4 annas to 5 annas per viss, and they were able to make that profit with the sanction of the Government of India. The result was that the consumers were penalised. The Government was not benefited on account of this uniform price and the difference in the two prices went to the pockets of the millowners.

This Sugar (Special Excise Duty) Bill must have been brought much earlier to mop up the difference in prices as early as June or July—I would say even much earlier. An all-India price is, no doubt, welcome. I understand from the statement of the Minister, Madras State, that Madras State has been made into a separate sugar zone and the Central Government has guaranteed a supply of 10,000 tons of sugar per month. If that be the case, we only want to know why there should be a uniform sugar price for all India. If the south Indian sugar mills are able to produce sugar at a lesser cost, why should the south Indian consumers, people living in the southern zone, be expected to pay a higher price.

Another thing is, the distribution of sugar at present is not very advantageous to the people. The people are put to a lot of inconvenience and hardship. The present system of distribution is not very satisfactory. Even though the Government has declared that the fair price of sugar should be Rs. 1-10-0 the consumers in the villages, towns and cities are not able to get it at that fair price, even at the increased price of Rs. 1-10-0 per viss. The main reason is that distribution by the millowners through their agents is not done to the satisfaction of the retail dealers. The millowners have got their distributors and agents in big cities and district headquarters. They give a sort of ration cards to small retail dealers allotting each about two to three bags a week. Every week these retail dealers have to go to the headquarters to take delivery of those two or three bags. They are put to great expenditure in this way. Every week these small retailers have to travel to the headquarters resulting in heavy expenditure to them not commensurate with the profit they are able to make by the sale of those few bags of sugar. I would, therefore, suggest that the distribution arrangement should be changed so that supplies are made to the retail dealers in their own places and they are not made to travel 50 or 100 miles to take delivery of those few bags of sugar. The margin of profit allowed to them is very meagre. One bag of sugar is supplied to them by the distributors at the rate of about Rs. 115. They are allowed to have a profit of Rs. 2 or Rs. 2-8-0. Therefore, on an investment of Rs. 100 or more they are able to get only Rs. 2 or Rs. 2-8-0 for which they have to incur an expenditure of Rs. 10 for taking delivery of two or three bags. This, I would suggest, is indirectly inducing the merchants to blackmarket. It is impossible for them to sell at the price fixed by the Government or by the mill-owners. The Government should see that the retail merchants get at least 6¼ per cent margin of profit on their retail sales. The millowners can reduce their profits to some extent. By having a uniform price of Rs. 1-10-0 the millowners were able to have more than Rs. 5 per cwt. Therefore, they can now reduce the margin of their profit.

As a result of this uniform policy, this uniform price, this control on an all-India basis, the sugar mills have made fabulous profits. I would like to invite the attention of the hon. Minister to the stock exchange rates of the shares of these sugar mills. The share values have been inflated by 50 per cent. to 60 per cent. in anticipation of huge profits. Actually almost all the sugar mills have made fabulous, excessive profits. Therefore,

with a view to mop up all the difference in prices, where the consumers were asked to pay an increased price for consumption of sugar, I would suggest that Government should take adequate steps so that all that money will come to the exchequer.

Shri Supakar: Sir, I would try to voice the feelings of the consumers coming from States other than Uttar Pradesh and Bihar. What is the usual feeling of such persons regarding this problem? When a consumer goes to the market he finds that sugar is selling usually at the rate of Rs. 2. He finds that almost every year the price of sugar is increasing. He finds that compared to other foodgrains the rise of price in the case of sugar, perhaps, during the last 13 years has been almost phenomenal. When we ask questions about this problem the hon. Minister, probably, says that we are doing our best and people should eat less sugar because we are trying to export sugar and all that. But that does not solve the problem so far as the average consumer is concerned.

16 hrs.

Sir, only today morning we were discussing the question of special excise duty on sugar. The hon. Minister assured us that this should not affect the price of sugar as available to the consumer. But I am quite sure, whatever be the theoretical assurance of the Minister, every such Act which raises the excise duty has its effect on the consumer. If the hon. Minister says that only on the accumulated stock of sugar they are going to impose the excise duty of Rs. 2.52 per cwt. and this will not affect any future stock, still I am afraid that it may have some repercussion on the retail market. I believe, Sir, if the Government takes the responsibility of fixing the price paid to the cane growers and the ex-factory price of sugar, they should also take sufficient responsibility in seeing that the consumer gets sugar at a reasonable price. Unless this is done, merely shifting the responsibility to the State Governments and saying that the Centre is supplying so many tons of sugar to each State Government will not help the average consumer. The Government should take this responsibility of seeing that justice is done not only to the sugarcane growers and the mill-owners but also to the consumers throughout India.

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, इधर कई रोज से हम यह यत्न करते रहे हैं कि सरकार का ध्यान गन्ने के मसले की ओर दिला सकें और मुझे खुशी है कि कई रोज की मेहनत के बाद आपने आज मुझे यह मौका दिया है कि इस मसले पर यहां हाउस में गौर हो सके ।

जहां तक गन्ने का सवाल है, गवर्नमेंट का भी खयाल है और दूसरे लोगों का खयाल है कि गन्ना देश में ज्यादा पैदा होता है मगर शायद उनको यह खयाल नहीं है कि यहां इस देश में गन्ने की पैदावार सिर्फ एक प्रतिशत ही होती है और बाकी गल्ले का उत्पादन होता है । जिन इलाकों में गन्ना पैदा होता वह उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तराई के इलाके हैं जहां कि गन्ने के अलावा और कोई चीज पैदा ही नहीं हो सकती । इसलिए गन्ने का मसला एक ऐसा मसला है कि किसानों को गन्ना बोना ही पड़ता है । इसके अलावा गन्ना एक ऐसी क्रौप है जिससे कि दूसरी क्रौप्स की अपेक्षा ज्यादा पैसा मिलने की संभावना होती है, इस से कुछ अधिक आमदनी होने की उम्मीद रहती है । इसलिए गन्ने का जो सवाल है यह एक बहुत बड़ा सवाल है और कई वर्षों से बराबर हम इसको ठीक से हल करने और चीनी अधिक पैदा करने की बात कहते रहे हैं। यह जो गन्ने का सवाल पैदा हुआ यह सब से पहले सन् ५२ और ५३ में हुआ । उससे पहले गन्ने की माकूल कीमत मिलती थी लेकिन इस साल ५२-५३ में गन्ने की कीमत मिल गेट पर १ रुपये ५ आने और आउट स्टेशंस पर १ रुपये ३ आने कर दी । सन् ५२-५३ के पहले यह फर्क नहीं था । सन् ४६-४७ में चीनी का

[श्री मोहन स्वरूप]

भाव था २० रुपये १४ आने मन और गन्ने की कीमत थी १ रुपये ४ आने मन फिर सन् ४७-४८ में २ रुपये मन गन्ने का दाम था और चीनी का भाव उस समय ३५ रुपये मन था। हालांकि मिल मालिकों ने यह वायदा किया था कि वह शक्कर की कीमत २३ रुपये मन से ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि चीनी की कीमत ३० रुपये से कभी कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा ही होती रही लेकिन गन्ना उत्पादकों को बराबर मिल गेट पर १ रुपये ५ आने मन और आउट स्टेशंस पर १ रुपये ३ आने मन के हिसाब से मिलता रहा। अब गन्ना उत्पादकों और किसानों में चूंकि उनको उनकी उपज के मुनासिब और जायज दाम नहीं मिल रहे हैं इसलिए उन में एक असंतोष है। यह खेद का विषय है कि सरकार का ध्यान बजाय किसानों के मिल मालिकों और पूंजीपतियों की ओर अधिक है। सरकार का ध्यान जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी तरफ कम है। ऐसा हमें शुबहा होता है। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि सन् ५२-५३ में जब चीनी का भाव ३० रुपये मन से कम नहीं हुआ था तो सरकार ने बाहर से करीब १०० करोड़ रुपये की चीनी मंगाई और वह २० रुपये मन के हिसाब से मंगाई गई लेकिन मुझे ताज्जुब है कि २० रुपये मन की चीनी होने के बावजूद भी वह हिन्दुस्तान में ३० रुपये मन से कभी कम नहीं हुई। इस तरह से इस चीनी के मिल मालिकों का शोषण बराबर जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जब किसान पर कोई रकम वाजिब होती है लगान की तो उसके बैल कुर्क होते हैं उसका मकान कुर्क होता है और बीबी बच्चे तक कुर्क हो जाते हैं लेकिन ऐसी बहुत सी मिलें हैं, मेरी कांस्टीटुएंसी पीलीभीत में ही एक मिल है जिस को कि २०-२५ लाख रुपया दिया गया है। इसी तरह बरेली में एक मिल है उस पर करीब १५-१६ लाख रुपया वाजिब है लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। किसान हालांकि वे मिलों को गन्ना दे चुके हैं लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिलता है और वे इस कारण बड़े परेशान हैं। उनकी एक बात भी नहीं पूछी जाती है हालांकि इस ऐक्ट के अन्दर यह प्राविजन है कि मिल मालिकों को इसके लिए मजबूर किया जा सकता है और उनका लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। कानून में यह दिया हुआ है कि अगर चीनी के मिल मालिक गन्ने के दाम किसानों को अदा न करें तो उन पर कोअरसिव मेथड्स इस्तेमाल किये जा सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है और इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीति जो है वह किसानों के खिलाफ है और सरकार सरमायेदारों की मदद करती रही है और यह दुख का विषय है कि आज भी वही सरमायेदारों की मदद करने की पुरानी नीति बराबर जारी है।

जब सन् ४६-४७ में गन्ने का भाव दो रुपये प्रति मन था तो चीनी ३५ रुपये ७ आने मन थी लेकिन आज जब कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये हैं तो चीनी खुले भाव ५० रुपये प्रति मन बाजारों में बिक रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा हिसाब है जिस की रू से गन्ने की कीमत दो रुपये प्रति मन नहीं होनी चाहिए? इंसाफ का तकाजा है कि गवर्नमेंट को गन्ने की कीमत बढ़ाने के बारे में हमदर्दी से सोचना चाहिए।

अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और गवर्नमेंट के लोग भी इस बात को कहते हैं कि गन्ने के बारे में सरकार ने कोई फीगर्स इकट्ठा नहीं की हैं और इसलिए सरकार यह नहीं जानती कि गन्ने की पैदावार में कितना रुपया सर्फ होता है और उसकी शकल क्या है। जैसा कि एक दोस्त ने सुझाव दिया मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में

तहकीकात करे कि वाकई गन्ने की शरह क्या होनी चाहिए उसकी पैदावार के हिसाब से।

जहां तक सरकार को गन्ने से होने वाली आमदनी का सवाल है सरकार को उससे काफ़ी आमदनी होती है। एक मन चीनी पर १० रुपये ११ आने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और १ रुपये १४ आने प्रोविन्शियल सैस होता है। इसके अलावा साढ़े सात आने मन कोआपरेटिव कमिशन दिया जाता है। इस तरह से कुल १३ रुपये और कुछ पैसे प्रति मन चीनी पर सरकार को आमदनी होती है। इसके अलावा सरकार को खंडसारी की ड्यूटी से भी इनकम होती है। अलकोहल से भी उसकी आमदनी होती है। इसी तरह रेलवे फ्रेट के जरिये भी सरकार को आमदनी होती है। १ करोड़ मन शीरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उस से अलकोहल पैदा होता है और उससे भी सरकार को आमदनी होती है। इसलिए सरकार को इस बारे में जरा इंसाफ से काम लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि गरीब गन्ने के काश्तकारों के साथ अन्याय न हो और उनको भी उनके गन्ने के मुनासिब दाम मिलें। जहां हम चीनी के कंज्यूमर्स की बात सोचते हैं, मिल मालिकों की बात सोचते हैं वहां हमारा फर्ज यह भी हो जाता है कि हम किसानों के हित की भी बात सोचें जोकि इतनी मेहनत करके गन्ना पैदा करते है जो कि गरमी, सर्दी, लू और धूप की पर्वाह न करके रात दिन खेतों में मशक्कत करते हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को अधिक देरी न करके इस सारे मसले पर विचार करके गन्ना उत्पादकों के साथ इंसाफ करना चाहिए।

Shri A. M. Thomas: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this opportunity that the Government have been given to put before this House the reasonableness of the price increase which has been given for sugarcane very recently. It has been stated by more than one hon. Member that since the growers are in a majority, a vast number, the Government should certainly have the interests of the growers, more than the interests of the mill-owners, in their heart. I may unequivocally state that if the Government is asked to say on which side the sympathies of the Government lie *vis a vis* the interests of the mill-owners, I would say that the Government's sympathies are definitely with the growers.

श्री बृजराज राय: ऐक्शन में नहीं है सिर्फ कहने के लिए है।

Shri A. M. Thomas: At the same time, I may state that the interests of the growers have also to be considered in the light of the interests of the mill-owners in that it must be worthwhile for them to produce sugar. The second consideration, according to me, is the position of the sugarcane growers, *vis a vis* the growers of other competing crops. The third consideration, and as the hon. House knows, is the interest of the consumers. If you balance all these I may say that by the recent increase that the Government has given, if at all the Government has erred, it has erred only on the side of leniency in favour of the grower. Shri Banerjee has been saying that Government should not stand on prestige. Government has not and does not intend to stand on prestige. Ever since 1953-54, the practice was to announce the sugarcane price well before the sowing season, so that the grower may know beforehand what price he is going to get for the cane he produces. As usual, this time also we announced the cane price in May, 1959 well before the sowing season.

This question was considered when there was an agitation about this time last year. This appears to be an annual affair for some political parties, to which I will come presently. In December, 1958, this question was considered by the Cabinet. Considering the agitation that was launched in some of the areas and all other aspects, Government decided that there was no case for increasing the price from Rs. 1-7-0. Then, we took into account all the subsequent developments and other relevant factors and especially

[Shri A. M. Thomas.]

because it would serve also as an incentive for increased sugar production, we thought it fit to increase the price from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0.

I will also give the exact background, because it is worthwhile knowing the history of fixation of the cane price. As the House knows, the power to fix the cane price was assumed by the Central Government in 1950-51. As pointed out by Shri Kushwaqt Rai, we fixed the cane price at Rs. 1-12-0. That price was allowed to continue for 1951-52 also. Then we found that there was an enormous increase in the acreage of sugarcane. So, considering the situation, we thought it was not justifiable to give such a high minimum price to sugarcane. So, in 1952-53 we decided that the price must be Rs. 1-5-0 for delivery at gate and Rs. 1-3-0 for delivery at rail centres. As pointed out by some hon. Members, there was some diminuation in the acreage after that. Again we raised the price and in 1953-54, the minimum cane price was Rs. 1-7-0 for delivery at gate and Rs. 1-5-0 for delivery at rail centres. Ever since that period, till 25th October, that price continued.

Then, some other factors also had to be considered in this context. Shri Khushwaqt Rai and some others have stated that the legislatures of Bihar and U.P. recommended an increase up to Rs. 1-12-0. My friend, Shri Vajpayee would not be satisfied even with that; he has moved a substitute motion saying it must be Rs. 2.

Shri Braj Raj Singh: That is the demand of the growers.

Shri A. M. Thomas: The matter was first mooted in the Bihar Legislative Assembly in December, 1957. Of course, the growers are in a majority and as I have said, as far as the Central Government are concerned, our sympathies are with the growers. The sympathies of the State Governments and the Members of the State Legislatures are also bound to be with the growers. In December, 1957, the Bihar Assembly passed a resolution to the effect that the price has to be increased to Rs. 1-12-0. But even then, the Government should necessarily have regard to all the circumstances. While forwarding that resolution to us, the Bihar Government did not ask us to accept that recommendation, but just said that it is a matter which has to be considered further. It said, "You may refer this matter to some board or something like that and fix a reasonable price in consultation with the other sugar-producing States".

When the matter came up before the U.P. Assembly, of course, the resolution was passed by the Assembly, but even then stand of the Government was that it would not be justifiable to give the cane-growers anything more than Rs. 1-7-0 per maund, as was being given. Nonetheless, the legislature passed the resolution and while forwarding that, the U.P. Government was of the opinion that this matter might have to be considered by a board. It did not recommend an enhancement of the cane price, because it is well known that Government must have regard to the growers of other competitive crops, the effect it will have on the economy of the country, on the general price-structure, etc. All those things have to be considered by the Government.

After the minimum price was fixed in May, 1959, some months afterwards, both the Bihar and U.P. Governments redommended to us that it might be desirable to increase the price. I do not keep anything back from this House. It is true that both the Governments recommended to us that the minimum price should be increased to Rs. 1-12-0. But then, we considered all the aspects and in consultation with both the Governments, we came to the decision that having regard to all the circumstances, any increase beyond 3 annas per maund would not be justified under the circumstances. It was not an arbitrary decision, not a decision

which did not take into account the interests of the growers at all.

I may also say that regard was also given to the cost of production. This is not like other foodgrains, because it is a cash crop and the person who grows wants to sell it; he does not consume it himself. So, if at all a minimum price is to be fixed, it must have some relationship to the cost of production. That is conceded. The fixation of the price was also influenced by certain management investigations that were conducted for a period of three years from 1954-55. These investigations revealed that in a fairly good land, the cost of production at the farm site came to 14 annas 6 pies per maund. Of course, we will have to take into consideration the transport charges from the farm site to the rail centre. So, the cost works out to Rs. 1-0-6 per maund. You will find that the minimum price of Rs. 1-5-0 per maund at Railway centes was more than the actual cost of production that was worked out. I also grant that we have also to take into account the marginal lands too. That was also taken into consideration and that was why the prices were fixed at Rs. 1-7-0 for delivery at gate and at Rs. 1-5-0 for delivery at rail centres. It is reasonable to suppose that the sugarcane cultivators should get higher margin of profit, having regard to the nature of the cultivation. Even after allowing for all this, it is difficult to say that the price before the increase, that is, the pre-existing price of Rs. 1-5-0 for delivery at rail centre and Rs. 1-7-0 for delivery at factory centres were unreasonably low, having regard to the cost of production.

I may also bring to the notice of this House that this price of Rs. 1-5-0 should necessarily be reasonable, because after this price was fixed the acreage under sugar-cane cultivation has increased every year. As I have said, sugar-cane producers are not producing for consumption themselves. They supply cane for production of gur or khandsari or to sugar mills. So, it will be found that it was worthwhile for them to produce. That is why there was expansion every year in the area under sugar-cane cultivation. (*Interruptions*).

Shri Braj Singh: If the area cultivation . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. If the Minister is not yielding, he should not persist. I will give him an opportunity at the end.

Shri A. M. Thomas: I may be allowed to proceed uninterrupted.

We have found that the area under sugar-cane cultivation is increasing. My Minister made it clear last time that Government is not disposed to increase the price, not because it is afraid that there will be an expansion in the acreage. Even if there is expansion, it will be only very insignificant. But we must also have due regard to the competing crops. That is the main consideration that we have to bear in mind. If we give consideration to all those points we will find that the price that has been fixed is quite reasonable.

Then, as the hon. House knows, the ex-factory price of sugar-cane in U.P. North Bihar and Punjab were fixed on 30th July 1958, when the price of sugar showed an increasing tendency. We fixed the price at Rs. 36/- for U.P. factories as well as North Bihar factories, on the basis of the sugar-cane prices remaining at Rs. 1/5/- and Rs. 1/7/- at railway centres and factory centres respectively.

The proportion of the various costs in the matter of cane price has been mentioned on the flood of the House on the 26th of August 1958 by the then Minister of Food and Agriculture. Cane price came to 40:4 per cent; taxes, excise duties, cess, co-operative society fees etc. made 36:6 per cent; manufacturing charges came to 17:6 per cent—allowance for loss on exports need not be considered now—other miscellaneous charges

[Shri A. M. Thomas]

came to 1:4 per cent; profit to mills came to 2:4 per cent. My hon. friend was saying that the sugar mill-owners were making enormous profits. It may partly be true. Even though ex-factory prices were fixed in July 1958, for some time some of the factories have not been behaving properly. It may also be the case for some sugar factories for which no ex-factory price was fixed. Factories in Bombay and the south might be making enormous profits. All the same, when we fix ex-factory price, we must also fix a proportionate sugar-cane price, and based on that, it will be found that when we fix the price at Rs. 28 in U.P. and North Bihar factories, the profit to the mill-owners comes to only 2:7 per cent.

Shri Braj Raj Singh: That is wrong.

Shri A. M. Thomas: The manufacturing charges are determined on a prescribed cost schedule based on recovery and duration. In view of all this, the incidence on minimum cane price has increased per maund price of sugar by Rs. 1:85 nP.

Then, some hon. Members suggested that the whole question must be referred to a committee. That is not necessary. In fact, the question of cost structure of sugar was referred to the Tariff Commission. I has also supported the position of the Government in its report, which is under consideration of Government. Although I am not now free to divulge the recommendations of the Tariff Commission, I might say that the recommendation of the Tariff Commission is also that the ex-factory price fixed at Rs. 36 will be reasonable, having regard to the sugar-cane prices of Rs. 1-5-0 and Rs. 1-7-0 respectively.

I may also bring to the notice of the House one significant factor which has not been mentioned by any member of this House. It is only the minimum price that we have fixed. We have also stated that if the factories make larger profits, they will have to pay more to the grower on the basis of the price-linking formula which we have adopted from the year 1958-59. It may be seen that we have been able to pay substantial amounts in previous years. I have got the figures with me of payments that come to some lakhs of rupees. In fact, even before it was compulsory on the basis of the price-linking formula. In 1952-53 we paid Rs. 100 lakhs; in 1953-54 Rs. 113 lakhs; in 1954-55 Rs. 71 lakhs; 1955-56 Rs. 62 lakhs; and 1956-57 Rs. 85 lakhs. Of course, I may concede that as far as the factories in U.P. and Bihar are concerned, there may not be much scope for payment under the price-linking formula, because ex-factory prices are fixed. But there is considerable scope for payment under this formula, as far as factories in Bombay and in the south are concerned.

I may also say that the factories in Deccan areas, as well as in the South can afford to pay much larger price to the sugar-cane grower, because their price is determined by the landed cost of U.P. sugar, which is much more than the ex-factory price. So, the sugar-cane grower in the South and Bombay can get much more.

The amendment of Shri Vajpayee is to the effect that the price should be increased to Rs. 2. Now if the increase is made to Rs. 2 what happens? Even if you take the recovery of sugar content at 10 per cent, on this basis the cost of cane would be Rs. 20. If you add to it the excise duty, cane cess, co-operative society commission of Rs. 13/2/- etc. it comes to Rs. 33 without manufacturing cost and profit to the industry. So, if it is based on Rs. 2|, the price of sugar will necessarily go very much high.

Then there are other points that have to be considered. The incentives that we have given should not be thought of as only increasing the sugar-cane price. It should not be isolated from the other incentives that

we have given. We have given incentives for early crushing with a view to have increase in production. Then we have increased the cost of sugar-cane. We have also provided for payment to the sugar-cane grower on the basis of the price- linking formula. We have also said that if any sugar factory produces in the current year anything more than the average production in the last two years, they will get for the increased quantity a rebate of 50 per cent on the excise duty so that they can compete with *gur* and *khandsari* manufacturers and the sugar-cane grower is enabled to get a little more than the minimum price. So, all these things had to be considered together.

Although it is too early to make any estimate of the production as the sugar season began in November and if you have regard to the production in this particular season even though it may be only about 1½ months old or something like that, I may say roughly that the quantum of production has been about double the quantum of production during this period last year. I do not say that that tempo will be kept up, but I say that that is a very encouraging phenomenon and I appeal to hon. Members that nothing should be done, no agitation should be encouraged which will come in the way of production of sugar which we are needing more and more.

When I said that no recognised association of sugar-cane growers has come forward with any plea for increased sugar-cane prices, I had in mind the sugar-cane growers' associations which represent the large majority of sugar-cane growers, for example ....

Shri Braj Raj Singh: It is a very outmoded argument.

Shri A. M. Thomas: ..... the recognised association of cane-growers the provincial cane-growers' co-operative association. They have not served any notice.

Even with regard to the strike about which much is being made of, my information is that there is not much support for the sugar-cane growers' strike. I do not want to make a mention of any political party, but some political parties are taking advantage of the situation and are trying to whip up an agitation. I have also got information that certain political leaders are even conspiring to see that the willing sugar-cane growers, cultivators who are prepared to take the cane to the factory are not allowed to go to the factory site .... (*Interruption*).

Shri Nath Pai (Rajapur): He is making serious allegations.

Mr. Deputy-Speaker: It is very general .... (*Interruption*).

Shri Hem Barua (Gauhati): He has gone out of his way.... (*Interruption*)

Shri Goray (Poona): He has gone out of the time also ... (*Interruption*).

Shri A. M. Thomas: So that..... (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. It is too general to be so seriously taken note of.

Shri A. M. Thomas: I have got the latest information. Shri Khuswaqt Rai said, based on the report of certain papers, that 33 factories or something like that have closed down. But as far as my information goes, the position in U.P. is that out of the 70 factories, only nine are reported to be closed.

Shri Mohan Swarup: 37 factories:

Shri A. M. Thomas: But perhaps you want a bigger number so that production may be as low as possible.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister may continue to address the Chair.

Shri A. M. Thomas: When certain unpleasant things are said, I have necessarily to be frank to this House.

With regard to Bihar, my information from the Cane Commissioner which my Chief Director got on the telephone is that until late last night only five factories have been partially affected. Even if a single factory is closed, it is a matter of concern. I am not exulting over the fact that only a few factories have closed down. But all the same, I venture to repeat what I said yesterday that the strike move is quite ill-advised and the earlier the sugar-cane cultivators are properly advised in this matter, the better it will be.

I have not got the time to refer to the case of sugar price and other things. They are all important matters. These matters have been referred to during question time and on other occasions. I do not want to refer to that. I have to oppose the motion for raising the sugar-cane price any further.

Mr. Deputy-Speaker Will Shri Khuswaqt Rai like to say a few words?

श्री खुशवक्त राय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने बहुत ही गौर से माननीय मंत्री जी की स्पीच सुनी पर उस के सुनने बाद भी मेरा विश्वास यह है कि गन्ने की कीमत २ रु० मन होनी चाहिये । उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस से मैं अपनी राय बदलूं । उन्होंने सिर्फ एक एन्क्वायरी का जिक्र किया कि एक एन्क्वायरी हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कामों में वह एन्क्वायरी की गई उन में जो लेबरर्स शामिल हुए क्या वह बेगार करते थे कि १४ आ० ६ पाई की कीमत पर गन्ना पैदा हो गया । अभी मेरे मित्र श्री बनर्जी बोल रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त की थी, मैं भी उस दरख्वास्त को दोहराना चाहता हूं कि सरकार का इसे अपने मान या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । अब शीघ्र ही गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० कर दिया जाय, उस के बाद अब भी जरूरी समझें कमिशन मुकर्रर कर दें कमिशन जो भी की मत बता देगा वह हम मान लेंगे । गन्ने को जो कीमत अब हुई है उस के बारे में मुझ से और मंत्री जी का पत्रव्यवहार हुआ है । मैं उनका पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । मैंने पूछा था कि आप जो एक्साइज ड्यूटी लगाने जा रहे हैं उसका डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होगा । माननीय मंत्री जी ने उस के जवाब में मुझे लिखा है :

"As regards passing of the benefit or rebate in excise duty on extra production to sugarcane growers, I may mention that the extra production and the amount of rebate are undetermined factors. It will be in the interest of factories themselves to pay extra price to the sugarcane growers in order to attract more supplies of cane to earn the benefit of rebate".

मैं यह कहना चाहता हूं कि खुद पाटिल साहब का पत्र है । उन्होंने खुद माना है कि फैक्ट्रीज को गन्ने के दाम बढ़ा देने चाहियें । मैं चाहता हूं कि सरकार खुद इस की ताकीद करे । सरकार यह जानती है कि जो मिनिमम प्राइस मुकर्रर हो जाती है, उस से एक पैसा भी ज्यादा काश्तकार को नहीं मिलता है । इस लिये मैं अध्यक्ष महोदय के जरिये से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुझे दुःख है कि हमारे खाद्य मंत्री इस समय मौजूद नहीं हैं वर्ना मैं उन से भी अपील करता, कि गन्ने की कीमत अभी १० १२ आ० मुकर्रर कर दी जाय उस के बाद कमिशन जैसा वह वैसा किया जाय ।

Shri Jadhav (Malegaon): I want some information. The hon. Deputy Minister said that the acreage under sugarcane cultivation is increasing. Also it was said long before that the average yield per acre also has in-

creased. I am at a loss to know, if that is the case and also the number of sugar factories is increased by six, where is the sugar? Has it evaporated? I also want to know this. The *per capita* availability of sugar last year and this year also is the same. It was 11.2 last year.....

Mr. Deputy-Speaker: It should not be a speech.

Shri Rajendra Singh (Chapra): He is only raising a query.

Mr. Deputy-Speaker: I also understand that.

Shri Jadhav: It is 11.2 this year also. The hon. Minister is misguiding the House.

Shri A. M. Thomas: It is true that the acreage under sugarcane has increased. At the same time, taking the average of area that has been additionally put under sugarcane cultivation, to the previously existing area, the average production has come down, because the marginal fields are coming on. The marginal fields are also taken for sugarcane because it is worth while to cultivate sugarcane.

Mr. Deputy-Speaker: I am putting Shri Vajpayee's substitute motion to the vote of the House. The question is:

"This House having considered the price of sugarcane and sugar fixed by the Government, recommends that price of sugarcane be raised to Rs. 2/- per maund without any corresponding increase in the price of sugar."

Mr. Deputy-Speaker: The 'Noes' have it.

Some Hon. Members: The 'Ayes' have it.

Mr. Deputy-Speaker: I am calling for a division. There ought to be no complaints. Both the buttons are to be pressed simultaneously, both hands are to be used.

The original motion is:

"That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into consideration."

Now I am putting the substitute motion of Shri Vajpayee to the vote of the House:

The question is:

"That for the original motion the following be substituted, namely:

'This House, having considered the price of sugarcane and sugar fixed by the Government, recommends that the price of sugarcane be raised to Rs. 2 per maund without any corresponding increase in the price of sugar.'"

The Lok Sabha divided:

Division No. 10] AYES [16.4. 3 hrs.

Assar, Shri	Gorqy, Shri	Pandey, Shri Sarju
Banerjee, Shri Pramathanath	Halder, Shri	Patil, Shri U.L.
Banerjee, Shri S. M.	Jadhav, Shri	Punnoose Shri
Barua, Shri Hem	Kamble, Shri B. C.	Rai, Shri Khushwaqt
Beck, Shri Ignace	Kar, Shri Prabhat	Ram Garib, Shri
Bhanja Deo, Shri	Khadilkar, Shri	Reddy, Shri Nagi
Bharucha, Shri Naushir	Kodiyan, Shri	Shastri, Shri Prakash Vir
Brij Narayan "Brijesh", Pandit	Kunhan, Shri	Singh, Shri Braj Raj
Chakravartty, Shrimati Renu	Menon, Shri Narayanankutty	Singh, Shri L. Achaw
Chavan, Shri D. R.	Mohan Swraup, Shri	Singh, Shri Rajendra
Dange, Shri S. A.	More, Shri	Soren, Shri
Deb, Shri Dasaratha	Mukerjee, Shri H. N.	Sugandhi, Shri
Ghosal, Shri Aurobindo	Mullick, Shri B. C.	Tangamani, Shri
Ghose, Shri Bimal	Nair, Shri C. K.	Vajpayee, Shri
Gopalan, Shri A. K.	Nath Pai, Shri	Verma, Shri Ramji

NOES

Achar, Shri
Ambalam, Shri Subbiah
Arumugham, Shri S. R.
Ayyakannu, Shri
Barman, Shri
Barupal, Shri P. L.
Basappa, Shri
Basumatari, Shri
Bidari, Shri
Biswas, Shri Bholanath
Chaturvedi, Shri
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri
Dasappa, Shri
Datar, Shri
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Dr. P. S.
Deshmukh, Shri K. G.
Dwivedi, Shri M. L.
Ganapathy, Shri
Ghosh, Shri M. K.
Ghosh, Shri N. R.
Gounder, Shri K. Periaswami
Guha, Shri A.C.
Gupta, Shri Ram Krishan
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jain, Shri M. C.
Jangde, Shri
Jhunjhunwala, Shri
Jinachandran, Shri
Joshi, Shri A. C.
Joshi, Shrimati Subhadra
Jyotishi, Pandit J.P.
Karmarkar, Shri
Kayal, Shri P. N.
Kedaria, Shri C. M.
Keshava, Shri
Keskar, Dr.
Khan, Shri Sadath Ali
Kistaiya, Shri
Laxmi Bai, Shrimati
Mafida Ahmed, Shrimati
Mandal, Dr. Pashupati
Mandal, Shri J.
Maniyangadan, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehta, Shrimati Krishna
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri B. D.
Misra, Shri R. D.
Murthy, Shri B. S.
Murty, Shri M. S.
Muthukrishnan, Shri
Nallakoya, Shri
Nanjappa, Shri
Narasimhan, Shri
Narayanasamy, Shri R.
Nayar, Dr. Sushila
Nehru, Shri Jawaharlal
Oza, Shri
Padalu, Shri K. V.
Padam Dev, Shri
Pahadia, Shri
Palaniyandy, Shri
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Pande, Shri C. D.
Pandey, Shri K. N.
Patel, Shri N. N.
Pattabhi Raman, Shri C. R.
Pillai, Shri Thanu
Prabhakar, Shri Naval
Raj Bahadur, Shri
Rajiah, Shri
Ram Saran, Shri
Ramakrishnan, Shri P. R.
Ramaswamy, Shri K. S.
Ramaswamy, Shri P.
Ramdhani Das, Shri
Rampure, Shri M.
Rane, Shri
Rangarao, Shri
Reddy, Shri R. L.
Reddy, Shri Ramakrishna
Reddy, Shri Viswanatha
Rungsung Suisa, Shri
Sadhu Ram, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Samanta, Shri S. C.
Samantsinhar, Dr.
Sardar, Shri Bholi
Satyanarayana, Shri
Selku, Shri
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri R. C.
Shastri, Swami Ramanand
Shree Narayan Das, Shri
Siddananjappa, Shri
Siddiah, Shri
Singh, Dr. Ram Subhag
Singh, Shri Birbal
Singh, Shri Dinesh
Singh, Shri Kalika
Singh, Shri Radha Mohan
Singh, Shri Raghunath
Sinha, Shri B. P.
Sinha, Shri Jhulan
Sinha, Shri K. P.
Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shri Satyendra Narayan
Sonavane, Shri
Subbarayan, Dr. P.
Subramanyam Shri T.
Sumat Prasad, Shri
Tewari, Shri Dwarikanath
Thomas, Shri A. M.
Upadhyay, Pandit Munishwar Datt
Upadhyaya, Shri Shiva Datt
Varma, Shri B. B.

Shri N. R. Ghosh (Cooch-Behar): This machine is not working.

Shri Goray (Poona): I am sorry I have pressed the wrong button. I wanted to vote for "Ayes".

The Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs (Shri Sadath Ali Khan): I am for "Noes". The machine did not work.

Mr. Deputy-Speaker: Then I am adding one.

Shri Punnoose (Ambalapuzha): The machine has refused to co-operate; the machine has failed to work.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member wanted to vote for what?

Shri Punnoose: 'Ayes'.

Shri S. A. Dange (Bombay City—Central): Let us try it again.

Mr. Deputy-Speaker: It is all right. I think the results are clear now.

After all the adjustments, the 'Ayes' have 43; and the 'Noes' have 123.

Some Hon. Members: The 'Ayes' have 43? It must be 46.

Mr. Deputy-Speaker: It is not 46; there are deductions to be made also on that side.

The result* of the division is as follows:

Ayes: 43; Noes: 123.

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: So, the motion is lost. I need not put the original motion, because that was for purposes of discussion. Now, the discussion has taken place.

Now, we shall pass on to the next discussion.

16.46 hrs.

MOTION *RE*: REPORT OF PAY COMMISSION

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): I beg to move:

"That this House takes note of the Report of the Commission of Enquiry on Emoluments and Conditions of Service of Central Government employees, Government Resolution thereon and the statement made by the Finance Minister in the House on the 30th November, 1959."

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): How long are we sitting today?

Mr. Deputy-Speaker: First, let the motion be moved, and then, we shall consider.

Shri Narayanankutty Menon: I am not happy to have initiated the discussion on the Report of the Pay Commission, nor do I presume that any of the hon. Members will take this as a happy occasion for this discussion. Never never would the Finance Minister have welcomed such a discussion on this report.

As we go back to those hectic days in the first week of August, 1957, when the Central Government employees decided to go on a strike, and the hon. Home Minister wanted to hustle this House with a Bill in order to meet that strike, every section of this House was all the more anxious at that time to arrive at a reasonable settlement of the whole proposition, to avert a calamity at that time and when at the last moment, Government agreed that a Pay Commission would be appointed, everybody thought that at least a sigh of relief could be heaved then. But when the personnel of the commission was announced later on, a little doubt crept into the minds of many, because, making a departure from the past procedure that was adopted in the case of the First Pay Commission, Government made it exclusive to those who had nothing to do with the problems of either wage fixation or labour policy at all.

During the last session, when doubts were expressed from this side of the House about the possible recommendations of the commission, the hon. Finance Minister was wise enough to caution us, by saying that it might be that the Commission might make certain reductions in the emoluments also, and, therefore, we need not be too optimistic. At that time, we on this side of the House never never did know the forecasting mind of the hon. Finance Minister. But, now, when we read the report of the Pay Commission, we see it very well that the hon. Finance Minister was right, and too right, in asserting that the Pay Commission would do this way against employees.

Regarding the personnel of the commission, when the First Pay

---

*The figures were corrected as:
Ayes: 45; Noes 121, *vide* Debates, dated 18-12-1959.